महर्षि दयानन्द सरस्वती की उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी सभा का मुख पत्र

वर्ष : ६१ अंक : ०५

दयानन्दाब्द: १९४

विक्रम संवत्: फाल्गुन कृष्ण २०७५

कलि संवत्: ५११९

सृष्टि संवत्: १,९६,०८,५३,११९

सम्पादक

डॉ. सुरेन्द्र कुमार

प्रकाशक–परोपकारिणी सभा, केसरगंज, अजमेर– ३०५००१

दूरभाष: ०१४५–२४६०१६४

मुद्रक–श्री मोहनलाल तँवर

वैदिक यन्त्रालय, अजमेर।

दूरभाष : ०१४५–२४६०८३१

परोपकारी का शुल्क

भारत में

एक वर्ष–३०० रु.
पाँच वर्ष–१२०० रु.
आजीवन –३००० रु.
एक प्रति – १५/– रु.

विदेश में

वार्षिक–५० यू.के. पाउण्ड/८० यू.एस.डॉलर
द्विवार्षिक–९५ पाउण्ड/१५२ डॉलर
त्रिवार्षिक–१४० पाउण्ड/२२५ डॉलर
आजीवन (१५वर्ष)–५००पा./८०० डॉ.
एक प्रति – ३ पाउण्ड
एक प्रति – ४ डॉलर

वैदिक पुस्तकालय : ०१४५–२४६०१२०
ऋषि उद्यान : ०१४५–२६२११७०

ओ३म्

विद्याविलासमनसो धृतशीलशिक्षा:,
सत्यव्रता रहितमानमलापहारा:।
संसारदु:खदलनेन सुभूषिता ये,
धन्या नरा विहितकर्म परोपकारा:।।

RNI. No. ३९५९ / ५९

स्थापना दिवस विशेषांक

परोपकारी

मार्च प्रथम २०१९

अनुक्रम

०१.	सम्पादक की ओर से.....	०४
०२.	प्रारम्भ करने से पहले	०५
०३.	परोपकारिणी सभा की स्थापना का इतिहास	०५
०४.	स्वीकार–पत्र	०९
०५.	परोपकारिणी सभा से जुड़े कुछ व्यक्तित्व	१२
	एवं उनके चित्र	१९
०७.	सभा की प्रारम्भिक गतिविधियाँ	३६
०८.	प्रधान (प्रारम्भ से अब तक)	३८
०९.	मन्त्री (प्रारम्भ से अब तक)	३९
१०.	सभासद् (प्रारम्भ से अब तक)	३९
११.	सूचनाएँ	४२

www.paropkarinisabha.com
email : psabhaa@gmail.com

उपनिषद्, दर्शन, प्रवचन आदि सुनने हेतु बटन दबाएँ
www.paropkarinisabha.com→gallery→videos

लेख में प्रकट किए विचारों के लिए सम्पादक उत्तरदायी नहीं है। किसी भी विवाद की परिस्थिति में न्यायक्षेत्र अजमेर ही होगा।

सम्पादक की ओर से.....

परोपकारिणी सभा

ऋषि दयानन्द की उत्तराधिकारिणी और स्थानापन्न सभा

महर्षि दयानन्द के जीवनीकारों ने उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए एक चिन्तन-बिन्दु उपस्थित किया है कि महर्षि आदित्य ब्रह्मचारी थे, सात्त्विक आहार-विहार-सेवी थे, स्वस्थ शरीर के धनी थे, योगी थे, उनके दीर्घजीवन की प्रबल संभावना थी। फिर ऐसी कौनसी आशंका थी जिसके कारण उन्हें ५६-५७ वर्ष की अल्पायु में ही अपना स्वीकार-पत्र (वसीयतनामा) लिखने की चिन्ता करनी पड़ी? और उनसठ (५९) वर्ष की आयु में तो उन्होंने उसकी रजिस्ट्री भी करवा दी थी।

निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार रूढ़िवादी एवं विधर्मी समुदायों द्वारा महर्षि के जीवन को समाप्त करने के लिए बार-बार प्रयास किये जा रहे थे तो उन्हें अपने जीवनकाल की आशंका रही होगी और इस बात की चिन्ता रही होगी कि उनके द्वारा जो वेदों के प्रचार-प्रसार, समाज-सुधार और सामाजिक पुनर्जागरण का कार्य आरम्भ किया गया है, उनके देहावसान के उपरान्त कहीं वह अवरुद्ध न हो जाये। उसको जीवित रखने के लिए एक संगठन या संस्था का होना आवश्यक है। अगर थियोसोफिकल सोसायटी की मन्त्री मैडम ब्लैवेट्स्की के कथन पर भरोसा किया जाये तो मानना पड़ेगा कि महर्षि को अपने जीवनकाल के विषय में यह पूर्वाभास हो गया था कि उनका शरीर चिरजीवी नहीं रह पायेगा। महर्षि के देहान्त के बाद मैडम ब्लैवेट्स्की ने लिखा था कि ''महाराज ने उनसे कहा था कि सन् १८८३ का अन्त न देखूँगा।''

शायद, इसी आशंका के कारण उन्होंने 'स्वीकार-पत्र' (वसीयतनामा) लिखकर 'परोपकारिणी सभा' के नाम से उदयपुर राज्यनियम के अन्तर्गत २७ फरवरी, सन् १८८३ को उसकी रजिस्ट्री करा दी। इससे पूर्व सन् १८८० में मेरठ में इस प्रकार का प्रयास किया था। ये शीघ्रता में उठाये गये कदम थे।

'परोपकारिणी सभा, अजमेर' आर्यजगत् की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और सर्वोच्च संस्था है, क्योंकि यह स्वयं ऋषिकृत और ऋषि-अधिकृत सभा है। ऋषि दयानन्द ने '**परोपकारिणी सभा**' को अपने शरीर, अपने सर्वस्व और अपने सामाजिक उद्देश्यों की संरक्षा के लिए '**उत्तराधिकारिणी और अपने स्थानापन्न**' के रूप में अधिकृत किया है। इसकी व्याख्या यह है कि ऋषि दयानन्द की अनुपस्थिति में 'परोपकारिणी सभा' उनका स्थान-प्राप्त सभा है और इसको वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो स्वयं ऋषि दयानन्द को प्राप्त थे। ऋषि को न अवतार की कामना थी, न एकाधिकार की; न नाम की कामना थी, न गुरुडमवाद की। इसीलिए उन्होंने २३ सदस्यीय सभा को अपनी उत्तराधिकारिणी बनाया, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं।

महर्षि ने 'स्वीकार-पत्र' में अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए 'अपनी स्थानापन्न' सभा को निर्देश भी दिये हैं। संक्षेप में वे हैं-'वेद-वेदांग आदि शास्त्रों और वेदोक्त धर्म का प्रचार-प्रसार तथा अनाथ, दीन जनों का शिक्षण-पालन आदि परोपकार करना।' इन उद्देश्यों की पूर्ति के अनुरूप ही सदस्यों की योग्यता होनी चाहिए। **प्रमुख तथ्य यह है कि 'परोपकारिणी सभा' का वही सदस्य होना चाहिए जो आर्य भी हो, दयानन्दनिष्ठ भी हो और उसका समग्र चिन्तन दयानन्द की मूल भावना के अविरुद्ध हो। उसके और दयानन्द के बीच कोई अन्य न हो।**

महर्षि को वैदिक संस्कृति, सभ्यता, परम्परा, धर्म, साहित्य के पुनरुद्धार और स्वदेश के पुनरुत्थान की कितनी गहन लग्न और चिन्ता थी इसका ज्ञान हमें इससे होता है कि परोपकारिणी सभा की स्थापना से पूर्व उन्होंने सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 'आर्यसमाज' की भी स्थापना की थी। महर्षि दयानन्द द्वारा लिखित और प्रमाणित 'आर्यसमाज की स्थापना तिथि' चैत्र शुक्ल ५ शनिवार संवत् १९३२, तदनुसार १० अप्रैल सन् १८७५ है। अपनी स्थापना तिथियों से दोनों संगठन ऋषि दयानन्द-निर्देशित सामाजिक सुधार और देशोपकार के कार्यों में संलग्न हैं। सभा के पूर्व पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने जर्जरित 'ऋषि उद्यान' को अपने प्रयासों से भव्य रूप में विकसित कर इसे आर्यों का आकर्षक तीर्थ बना दिया है। आर्यजगत् के लिए यह सन्तोष का विषय है कि परोपकारिणी सभा में आज अन्य किसी भी सभा से सर्वाधिक संख्या में आर्य विद्वान् सदस्य हैं, जो दयानन्दनिष्ठ हैं। पूर्ण विश्वास है कि यह सभा भविष्य में भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल रहेगी।

डॉ. सुरेन्द्र कुमार

प्रारम्भ करने से पहले

इस वर्ष परोपकारिणी सभा ने यह निश्चय किया कि २७ फरवरी को वह अपना स्थापना दिवस मनाये। इस अवसर पर आर्यजनों को सभा के स्थापना विषयक इतिहास से अवगत कराने का विचार भी आया। इसके लिये भिन्न पुस्तक ना छापकर परोपकारी पत्रिका को ही 'स्थापना दिवस विशेषांक' के रूप में छापने का निर्णय किया गया। ४-५ दिनों के अत्यल्प समय में जितना सम्भव हो सका, अधिक से अधिक जानकारी संकलित की जा सके, ऐसा प्रयास किया गया है। समय और पृष्ठों की सीमा को ध्यान में रखते हुए जो विवरण अत्यावश्यक समझा, वही दिया गया है, परोपकारिणी सभा का विस्तृत इतिहास तो एक बृहत् ग्रन्थ का विषय है।

इस विशेषांक को तैयार करने में डॉ. भवानीलाल भारतीय लिखित 'परोपकारिणी सभा का इतिहास' से पर्याप्त सहायता ली गई है। पाठकों के लिये अंक ज्ञानप्रद होगा, ऐसा हमारा विश्वास है।

परोपकारिणी सभा की स्थापना का इतिहास

स्थापना की पृष्ठभूमि

भारतीय धर्म, समाज और संस्कृति के क्षेत्र में पुनर्जागरण की महती प्रक्रिया उस समय प्रारम्भ हुई जब विगत शताब्दी में महान् धर्म-संशोधक, समाज-संस्कारक तथा नवोदय के ज्योतिर्धर स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आर्यसमाज की स्थापना के द्वारा देश और समाज में वैचारिक क्रान्ति लाने का सफल प्रयास किया। मथुरा निवासी एक प्रज्ञाचक्षु दण्डी संन्यासी विरजानन्द से शास्त्राध्ययन करने के पश्चात् स्वामी दयानन्द ने भारतीय जीवन में व्याप्त आडम्बर, पाखण्ड, रूढ़िवाद, कदाचार तथा मूढ़ विश्वासों को समाप्त करने हेतु महान् अनुष्ठान आरम्भ किया। अपने प्रयोजन की सिद्धि में जनसाधारण का सहयोग लेने हेतु उन्होंने महानगरी बम्बई में चैत्र शुक्ला पञ्चमी सं. १९३२ वि. (तदनुसार १० अप्रैल १८७५ ई.) को आर्यसमाज की स्थापना की। इस संस्था की स्थापना में उनका प्रमुख लक्ष्य विलुप्त वैदिक विचारधारा का पुन: प्रचार तथा आर्य संस्कृति का सार्वत्रिक प्रसार ही था। ज्यों-ज्यों स्वामीजी धर्म-प्रचार तथा समाज-संशोधन के गुरुतर भार को अपने सबल कंधों पर लेते गये त्यों-त्यों उनका देशाटन, शास्त्रार्थ-विचार, समाज-संगठन, ग्रन्थ-लेखन आदि का कार्य वृद्धिगत होता गया। वैदिक धर्म के आदर्शों की प्रतिष्ठा तब तक सम्भव नहीं थी, जब तक उसके आधारभूत वेद तथा अन्य पुरातन वाङ्मय का वास्तविक स्वरूप जन समाज के सम्मुख प्रस्तुत न किया जाता। फलत: स्वामीजी ने वेदों के तात्पर्य का उद्घाटन करने के लिये वेद-भाष्य लेखन प्रारम्भ किया तथा धर्म के तत्त्वार्थ का निरूपण अपने अन्य मौलिक ग्रन्थों में किया।

सोलह-सत्रह वर्षों तक निरन्तर देश, समाज एवं धर्म की सेवा में संलग्न रहने के पश्चात् योग-विद्या निष्णात दयानन्द ने अपनी क्रान्तदर्शिता से यह अनुभव किया कि उनकी जीवन-संध्या अधिक दूर नहीं है। अत: परलोक गमन के पश्चात् भी उनके द्वारा प्रारम्भ कार्य सतत होता रहे, उनके द्वारा रचित ग्रन्थों का मुद्रण एवं प्रकाशन निर्बाध गति से चले तथा देश-देशान्तर एवं द्वीप-द्वीपान्तर में धर्म-प्रचार, अनाथ-रक्षण, अबला-उद्धार आदि के लोकोपकारी कार्य पूरे होते रहें। इस प्रयोजन की सिद्धि के लिये उन्होंने अपनी स्थानापन्न एक सभा की स्थापना की आवश्यकता अनुभव की। फलत: परोपकारिणी सभा का जन्म हुआ। इस पूरे घटनाक्रम को पं. इन्द्र विद्यावाचस्पति ने अपनी पुस्तक 'आर्यसमाज का इतिहास' में इस प्रकार लिखा है-

''ऋषि दयानन्द की दूरदर्शिनी दृष्टि अब समीप आते हुए अन्त को देख रही थी। मेरठ से चलते हुए ऋषि ने आर्यपुरुषों को जो आदेश दिया था, उसके वाक्य बतलाते हैं कि ऋषि भविष्य को देख रहे थे। आपने

व्याख्यान में कहा था कि "**महाशयो! मैं सदा बना नहीं रहूँगा। विधाता के न्याय-नियम में मेरा शरीर क्षणभंगुर है। काल अपने कराल पेट में सबको चबा डालता है। अन्त में इस देह के कच्चे घड़े को भी उसके हाथों टूटना है। सोचो, यदि अपने पाँव खड़ा होना नहीं सीखोगे तो मेरे आँख मिचने के बाद क्या करोगे? अभी से अपने को सुसज्जित कर लो! स्वावलम्बन के सिद्धान्त का अवलम्बन करो! अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के योग्य बन जाओ! किसी दूसरे के सहारे की आशा छोड़ दो। अपने ही पर निर्भर करो!**" ऋषि के हृदय में यह चिन्ता थी कि मेरे मरने के पीछे समाजों को संभालने वाला कौन होगा?

संभालने को बहुत-कुछ था। **सबसे प्रथम, ऋषि समझते थे कि आर्यसमाजें देश-भर में बिखरी हुईं हैं। उनका एक केन्द्रभूत संगठन नहीं है।** आपस के लड़ाई-झगड़ों को निबटाने का कोई उपाय नहीं है। दूर-दूर के प्रान्तों में स्थापित हुई समाजें एक-दूसरे से कोई सहायता नहीं ले सकतीं।

दूसरी चिन्ता ऋषि को विदेश-प्रचार की थी। उस समय तक प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाएँ भी नहीं बनीं थीं, सार्वदेशिक सभा का तो अभी विचार ही दूर था। प्रचार का और विशेषतया विदेश-प्रचार का कार्य छोटी सभाओं की शक्ति से बाहर था। ऋषि के चित्त में यह विचार घर किये हुए था कि यदि वैदिक धर्म के योग्य प्रचारक भारत से बाहर भेजे जायें, तो उन्हें अवश्य सफलता होगी।

इसके सिवा ऋषि ने वेदभाष्य तथा अपने अन्य ग्रन्थ छपवाने के लिए १८८० में बनारस में प्रेस की स्थापना की थी। वह प्रेस अभी तक निराधार था। ऋषि को निरन्तर भ्रमण करना पड़ता था, इस कारण हिसाब में सदा गड़बड़ रहती थी। जब सामने ही यह हाल था तो पीछे के लिए क्या भरोसा हो सकता था? ऋषि के ग्रन्थ जहाँ-तहाँ छपे पड़े थे। उनका एक स्थान में संग्रह और संभालने का यत्न भी आवश्यक था।

इन सब बातों पर विचार करके **ऋषि ने एक ऐसी सभा का बनाना निश्चित किया जो इन त्रुटियों को पूरा कर सके।** उदयपुर में 'परोपकारिणी सभा' का विचार उत्पन्न हुआ और पकाया गया। वहीं वह कार्यरूप में भी परिणत हुआ। इसमें सन्देह नहीं कि महाराणा सज्जनसिंह के सुधार ने ऋषि के हृदय को बड़ा सन्तोष पहुँचाया था। हिन्दूपति के वैदिकधर्मी बन जाने पर ऋषि को यह भान होने लगा कि अब आर्यसमाज निराधार नहीं है। महाराणा की सज्जनता और दृढ़ता को देखकर ऋषि को विश्वास हो गया कि मेरे पीछे आर्यसमाज को लौकिक सहारे की कमी नहीं रहेगी। इसमें सन्देह भी नहीं कि यदि ऋषि के पीछे इतना शीघ्र उनके योग्यतम शिष्य शीघ्र न चल बसते तो परोपकारिणी सभा ऐसी निर्जीव संस्था न हो जाती। परोपकारिणी सभा का निर्माण एक वसीयतनामे के रूप में हुआ । वसीयतनामे का प्रारम्भ इस प्रकार था-

'मैं स्वामी दयानन्द सरस्वती निम्नलिखित नियमों के अनुसार तेईस (२३) सज्जन आर्यपुरुषों की सभा को वस्त्र, पुस्तक, धन और यन्त्रालय आदि अपने सर्वस्व का अधिकार देता हूँ और उसको परोपकार सुकार्य में लगाने के लिए अध्यक्ष बनाकर यह स्वीकार-पत्र लिखे देता हूँ कि समय पर काम आवे।'

इस प्रकार परोपकारिणी सभा ऋषि की उत्तराधिकारिणी बनाई गई थी। २३ सभासदों में से सभापति का स्थान मेवाड़पति महाराणा सज्जनसिंह को प्रदान किया गया था। सभासदों में कई राजपूत नरेश और रईस थे। उनके अतिरिक्त देशभर के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध आर्यपुरुष और ऋषि के शिष्यों के नाम सभासदों की सूची में प्राप्त होते हैं। राव बहादुर रानाडे, रायबहादुर पं. सुन्दरलाल, राजा जयकृष्णदास, लाला सांईदास, पं. श्यामजी कृष्ण वर्मा

आदि महानुभावों को सभा के सभासद् बनाया गया था। परोपकारिणी सभा के सभ्यों की सूची का ध्यानपूर्वक आलोचन हमें बतला सकता है कि जीवनकाल में ही ऋषि का प्रभाव कितना विस्तृत हो चुका था।

सभा के अन्य उद्देश्यों पर ध्यान देने से ऋषि के महान् लक्ष्य का परिचय मिलता है। **पहला उद्देश्य है-स्वामी जी की सम्पत्ति को वेद और वेदांग आदि के पढ़ने-पढ़ाने में और वैदिक ग्रन्थों के छपवाने में व्यय करना। शिक्षा का प्रबन्ध और पुस्तक-प्रकाशन, ये दो ही विभाग इतने हैं कि एक सभा के लिए पर्याप्त हैं। दूसरा उद्देश्य रखा गया है-देश और देशान्तर में भेजने के लिए उपदेशक-मण्डलियों के प्रबन्ध में सम्पत्ति का व्यय करना। तीसरा उद्देश्य है-भारत के दीन और अनाथ-जनों की सहायता करना।** कितने व्यापक उद्देश्य हैं! लेखन और वाणी द्वारा देश और विदेश में प्रचार परोपकारिणी सभा का पहला कर्त्तव्य है। दूसरा कर्त्तव्य है 'वैदिक शिक्षा का प्रबन्ध'। सभा का अन्तिम कर्त्तव्य दीनों और अनाथों को संरक्षण और उनकी सहायता करना है। ऋषि ने परोपकारिणी सभा के लिये बड़ा भारी प्रोग्राम बनाया था। **वह परोपकारिणी सभा को अपना उत्तराधिकारी और आर्यसमाज का रक्षक बनाना चाहते थे।**

वसीयतनामे के अन्तिम भाग में सभा के साधारण नियम हैं। सभा में वही रह सकेगा, जो सदाचारपूर्वक जीवन बिताए। दुराचारी को निकाल दिया जायेगा। अधिक समय तक कोई स्थान रिक्त नहीं रह सकेगा। यदि सभा में कोई झगड़ा उठे तो सभा में फैसला होने की अन्य कोई भी सूरत होने तक उसे कचहरी में नहीं ले-जाना चाहिए। यदि कोई सूरत बाकी न रहे, तो न्यायालय से निर्णय होना चाहिए। ये नियम दिखलाते हैं कि सार्वजनिक संगठनों के निर्माण में ऋषि दयानन्द सिद्धहस्त थे और सभ्यों की शक्ति को परिमित करने के लाभों को खूब समझते थे।

इन उद्देश्यों से और इन नियमों से ऋषि ने परोपकारिणी सभा का निर्माण किया और अपनी सार्वजनिक सम्पत्ति सभा को सौंप दी। अपने जीवनकाल में ही प्रेस, पुस्तक आदि सभा को दे दिये। ऋषि को सभा से बड़ी आशाएँ थीं। वह सभा द्वारा केवल अपनी सार्वजनिक सम्पत्ति को ही सुरक्षित नहीं करना चाहते थे, वह राजाओं और अन्य शिक्षित महानुभावों को इकट्ठे बिठाकर एक-दूसरे के समीप लाना चाहते थे। वह राजपूताने के अशिक्षित नरेशों को भारतहित के सार्वजनिक कार्यों में लगाना चाहते थे। **परोपकारिणी सभा का निर्माण उस सपने का फल था जो चित्तौड़ की चोटियों पर खड़े होकर ऋषि ने देखा था।** ऋषि इस सभा द्वारा सोए हुये राजपूताना शेर को जगाना चाहते थे। वह आर्य-जाति द्वारा मनुष्यजाति के धार्मिक और सामाजिक उद्धार का नेतृत्व आर्य-नरेशों के हाथ में देना चाहते थे।

परोपकारिणी सभा की स्थापना

स्वामी दयानन्द ने परोपकारिणी सभा की प्रथम स्थापना मेरठ में की। तदर्थ १६ अगस्त १८८० ई. को एक स्वीकार-पत्र लिखा तथा उसी दिन मेरठ के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में उसे पंजीकृत कराया गया। इस स्वीकारपत्र में लाहौर निवासी लाला मूलराज को प्रधान तथा आर्यसमाज मेरठ के उपप्रधान लाला रामशरणदास को मन्त्री नियुक्त किया गया था। सभासदों की संख्या १८ थी और स्वामी जी ने इस सभा को अपने वस्त्र, धन, पुस्तक एवं यन्त्रालय आदि के स्वत्व प्रदान किये थे। अन्य प्रतिष्ठित आर्य पुरुषों के अतिरिक्त थियोसोफिकल-सोसाइटी के संस्थापक-द्वय कर्नल एच. एस. आल्काट तथा मैडम एच.सी. ब्लैवेट्स्की भी इस सभा के सदस्य नियत किये गये।

कालान्तर में जब स्वामी जी १८८३ ई. के आरम्भ में उदयपुर पधारे तो उन्होंने एक अन्य स्वीकारपत्र लिखकर परोपकारिणी सभा का न केवल पुनर्गठन ही किया अपितु उसे उदयपुर राज्य की सर्वोच्च प्रशासिका महद्राज सभा

के द्वारा फाल्गुन कृष्ण पञ्चमी १९३९ वि. (२७ फरवरी १८८३ ई.) को पञ्जीकृत भी करवाया।

द्वितीय बार सभा की स्थापना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम स्वीकारपत्र के अनुसार कर्नल आल्काट, मैडम ब्लैवेट्स्की तथा मुरादाबाद निवासी जिन मुंशी इन्द्रमणि को इस सभा का सभासद् बनाया गया था, उनके साथ सैद्धान्तिक मतभेद हो जाने के कारण अब स्वामीजी ने उन्हें अपनी उत्तराधिकारिणी संस्था में रखना वांछनीय नहीं समझा। द्वितीय कारण यह भी हो सकता है कि उदयपुर के महाराणा सज्जनसिंह की वैदिक धर्म में अटूट श्रद्धा तथा उनके माण्डलिक सामन्तों का धर्म-प्रेम देख कर स्वामीजी की यह सहज इच्छा हुई कि आर्य जाति के मूर्धाभिषिक्त नरेश को अपनी स्थानापन्न सभा का अध्यक्ष बनाकर एवं मेवाड़ तथा अन्य राजस्थानी राज्यों के क्षत्रिय सामन्तों को भी इस सभा में सम्मिलित कर उसे अधिक प्रभावशाली तथा व्यापक बनाया जाय। इस बार जो स्वीकारपत्र लिखा गया उसमें सभासदों की संख्या २३ थी। मैडम ब्लैवेट्स्की के अनुसार स्वामीजी को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था क्योंकि किसी प्रसंग में उन्होंने मैडम से कहा था कि वे १८८३ वर्ष का अन्त नहीं देखेंगे। जो हो, इस स्वीकारपत्र के लेखन के आठ मास पश्चात् ही कार्तिक अमावस्या १९४० वि. (३० अक्टूबर १८८३) को स्वामीजी महाराज का निधन हो गया।

अजमेर में जिस समय स्वामीजी का परलोक गमन हुआ, उस समय परोपकारिणी सभा के उपमन्त्री पं. मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या वहीं उपस्थित थे। यद्यपि परोपकारिणी सभा के प्रधान महाराणा सज्जनसिंह ने स्वामीजी के परलोकवासी होने के कुछ दिन पूर्व ही यह सम्मति भेजी थी कि यदि दैवदुर्विपाक से महाराज का शरीर छूटे तो चार-पाँच दिनों तक उनकी अन्त्येष्टि को रोक रखा जाय ताकि वे अजमेर आकर श्रीमहाराज के अन्तिम दर्शन कर सकें, परन्तु स्वीकारपत्र की भावना को ध्यान में रखते हुये तथा व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण ऐसा नहीं किया गया और दूसरे दिन ३१ अक्टूबर को अजमेर के मलूसर श्मशान में स्वामीजी की अन्त्येष्टि कर दी गई। १ नवम्बर को पण्ड्या जी ने स्वामीजी के द्रव्य, पुस्तक तथा अन्य वस्तुओं की सूची बनाकर उस पर प्रतिष्ठित पुरुषों के हस्ताक्षर कराये तथा सभा-मन्त्री के रूप में उन्हें अपने अधिकार में ले लिया।

परोपकारिणी सभा का वास्तविक कार्य तो स्वामीजी के देहावसान के पश्चात् ही प्रारम्भ हुआ। स्वीकारपत्र में स्वामीजी ने परोपकारिणी सभा के सम्मुख निम्न लक्ष्य पूर्ति हेतु रखे थे-

१. वेद और वेदांगादि शास्त्रों के प्रचार अर्थात् उनकी व्याख्या करने-कराने, पढ़ने-पढ़ाने, सुनने-सुनाने, छापने-छपवाने का कार्य।

२. वेदोक्त धर्म के उपदेश और शिक्षा अर्थात् उपदेशक मण्डली नियत करके देश-देशान्तर और द्वीप-द्वीपान्तर में भेज कर सत्य के ग्रहण और असत्य को त्याग कराना।

३. आर्यावर्तीय और दीन मनुष्यों के संरक्षण, पोषण और सुशिक्षा का कार्य।

स्वामीजी के व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आर्यसमाज का देशव्यापी संगठन १८७५ ई. से ही निरन्तर कार्य-संलग्न था, अत: परोपकारिणी सभा ने धर्म-प्रचार, अनाथ-संरक्षण तथा अन्य लोकहितकारी प्रवृत्तियों का संचालन आर्यसमाज के कार्यक्षेत्र का समझकर अपने आपको श्रीमहाराज के ग्रन्थों के मुद्रण, प्रकाशन, प्रचार, प्रसार तथा तत् सम्बद्ध वैदिक अनुसन्धान एवं तत्त्वानुशीलन तक ही सीमित रखा। तथापि उसकी विभिन्न प्रवृत्तियों ने दयानन्द सरस्वती की विचारधारा के सार्वत्रिक प्रचार में जो योगदान किया है उसका मूल्यांकन आवश्यक है।

परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकृत

स्वीकारपत्र की प्रति

राजकीय
मुद्रा

आज्ञा (राज्ये श्रीमहद्राजसभा) संख्या २९०

आज यह स्वीकारपत्र श्रीमान् श्री १०८ श्रीजी धीरवीर चिरप्रतापी विराजमानराज्ये श्रीमहद्राजसभा के सम्मुख स्वामीजी श्री दयानन्दसरस्वतीजी ने सर्वरीत्या अङ्गीकार किया, अतएव आज्ञा हुई–

कि प्रथम प्रति तो इस स्वीकारपत्र की स्वामीजी श्री दयानन्दसरस्वतीजी को राज्ये श्री महद्राजसभा हस्ताक्षरी और मुद्राङ्कित दी जावे और दूसरी प्रति उक्त सभा के पत्रालय में रहे और एक–एक प्रति इसकी राजयन्त्रालय में मुद्रित होकर इस स्वीकारपत्र में लिखे सब सभासदों के पास उनके ज्ञानार्थ और इसके नियमानुसार वर्तने के लिये भेजी जावे। संवत् १९३९ फाल्गुन शुक्ला ५ मङ्गलवार तदनुसार ता० २७ फेब्रुएरी सन् १८८३ ई०।

हस्ताक्षर महाराणा सज्जनसिंहस्य

(श्रीमेदपाटेश्वर और राज्ये श्रीमहद्राजसभापति)

राज्ये श्रीमहद्राजसभा के सभासदों के हस्ताक्षर

१. राव तख्तसिंह बेदले
२. राव रत्नसिंह पारसोली
३. द० महाराज गजसिंह का
४. द० महाराज रायसिंह का
५. हस्ताक्षर मामा बख्तावरसिंहस्य
६. द० राणावत उदयसिंह
७. हस्ताक्षर ठाकुर मनोहरसिंह
८. हस्ताक्षर कविराज श्यामलदासस्य
९. हस्ताक्षर सहीवाला अर्जुनसिंह का
१०. द० स० पन्नालाल
११. ह० पुरोहित पद्मनाथस्य
१२. जा० मुकुन्दलाल
१३. ह० मोहनलाल पण्ड्या

स्वीकारपत्र

मैं स्वामी दयानन्दसरस्वती निम्नलिखित नियमानुसार त्रयोविंशति सज्जन आर्यपुरुषों की सभा को वस्त्र, पुस्तक, धन और यन्त्रालय आदि अपने सर्वस्व का अधिकार देता हूँ और उसको परोपकार सुकार्य में लगाने के लिए अधिष्ठाता करके यह पत्र लिखे देता हूँ कि समय पर कार्यकारी हो। जो यह एक सभा कि जिसका नाम **परोपकारिणी सभा** है, उसके निम्नलिखित त्रयोविंशति, सज्जन पुरुष सभासद् हैं, उनमें से इस सभा के सभापति–

१. श्रीमन्महाराजाधिराज महीमहेन्द्र यावदार्य्यकुलदिवाकर महाराणाजी श्री १०८ श्री सज्जनसिंहजी वर्म्मा धीरवीर जी०सी०एस०आई० उदयपुराधीश हैं, उदयपुर राज मेवाड़।
२. उपसभापति लाला मूलराज एम०ए० एक्स्ट्रा असिस्टेण्ट कमिश्नर, प्रधान आर्य्यसमाज लाहौर, जन्मस्थान लुधियाना।
३. मन्त्री श्रीयुत कविराज श्यामलदासजी, उदयपुर राज मेवाड़।
४. मन्त्री लाला रामशरणदास रईस, उपप्रधान आर्य्यसमाज मेरठ।

५. उपमन्त्री पण्ड्या मोहनलाल विष्णुलालजी, निवास उदयपुर, जन्मभूमि मथुरा।

सभासद्- नाम और स्थान

१. श्रीमन्महाराजाधिराज श्री नाहरसिंहजी वर्म्मा, शाहपुरा राज मेवाड़

२. श्रीमत् राव तख्तसिंह जी वर्म्मा, बेदला राज मेवाड़

३. श्रीमत् राज्य राणा श्रीफतहसिंहजी वर्म्मा, देलवाड़ा राज मेवाड़

४. श्रीमत् रावत अर्जुनसिंह जी वर्म्मा, आसींद राज मेवाड़

५. श्रीमत् महाराज श्री गजसिंह जी वर्म्मा, उदयपुर मेवाड़

६. श्रीमत् राव श्री बहादुरसिंहजी वर्म्मा, मसूदा जिले अजमेर

७. रावबहादुर पं० सुन्दरलाल, सुपरिण्टेंडेंट वर्कशॉप और प्रेस, अलीगढ़ आगरा

८. राजा जयकृष्णदास सी०एस०आई० डिपुटी कलक्टर, बिजनौर, मुरादाबाद

९. बाबू दुर्गाप्रसाद, कोषाध्यक्ष आर्यसमाज व रईस, फर्रुखाबाद

१०. लाला जगन्नाथप्रसाद रईस, फर्रुखाबाद

११. सेठ निर्भयराम, प्रधान आर्य्यसमाज फर्रुखाबाद, बिसाऊ राजपूताना

१२. लाला कालीचरण रामचरण, मन्त्री आर्य्यसमाज फर्रुखाबाद

१३. बाबू छेदीलाल, गुमाश्ते कमसर्यट, छावनी मुरार कानपुर

१४. लाला सांईदास, मन्त्री आर्य्यसमाज लाहौर

१५. बाबू माधवदास, मन्त्री आर्य्यसमाज दानापुर

१६. रावबहादुर रा०रा० पंडित गोपालराव हरि देशमुख, मेम्बर कौन्सिल गवर्नर बम्बई और प्रधान आर्य्यसमाज बम्बई पूना

१७. रावबहादुर रा०रा० महादेव गोविन्द रानाडे जज्ज, पूना

१८. पं० श्यामजीकृष्ण वर्म्मा, प्रोफेसर संस्कृत यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड लंदन, बम्बई

नियम

१. उक्त सभा जैसे कि वर्त्तमानकाल वा आपत्काल में नियमानुसार मेरी और मेरे समस्त पदार्थों की रक्षा करके सर्वहितकारी कार्य में लगाती है, वैसे मेरे पश्चात् अर्थात् मेरे मृत्यु के पीछे भी लगाया करे-

प्रथम-वेद और वेदाङ्गादि शास्त्रों के प्रचार अर्थात् उनकी व्याख्या करने-कराने, पढ़ने-पढ़ाने, सुनने-सुनाने, छापने-छपवाने आदि में।

द्वितीय-वेदोक्त धर्म के उपदेश और शिक्षा अर्थात् उपदेशक मंडली नियत करके देश-देशान्तर और द्वीप-द्वीपान्तर में भेजकर सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग कराने आदि में।

तृतीय-आर्यावर्त्तीय अनाथ और दीन मनुष्यों के संरक्षण, पोषण और सुशिक्षा में व्यय करे और करावे।

२. जैसे मेरी विद्यमानता में यह सभा सब प्रबन्ध करती है, वैसे मेरे पश्चात् भी तीसरे वा छठे महीने किसी सभासद् को वैदिक यन्त्रालय का हिसाब-किताब समझने और पड़तालने के लिए भेजा करे और वह सभासद् जाकर समस्त आय-व्यय और संचय आदि की जांच-पड़ताल करे और उनके तले अपने हस्ताक्षर लिखदे और उस विषय का एक-एक पत्र प्रति सभासद् के पास भेजे और उसके प्रबन्ध में कुछ हानि-लाभ देखे, उसकी सूचना अपने भी परामर्श सहित प्रत्येक सभासद् के पास लिख भेजे, पश्चात् प्रत्येक सभासद् को उचित है कि अपनी-अपनी सम्मति सभापति के पास लिखकर भेज दे और सभापति सबकी सम्मति से यथोचित प्रबन्ध करे और कोई सभासद् इस विषय में आलस्य अथवा अन्यथा व्यवहार न करे।

३. इस सभा को उचित है किन्तु अत्यावश्यक है कि जैसा यह परमधर्म और परमार्थ का कार्य है, उसको वैसा ही उत्साह, पुरुषार्थ, गम्भीरता और उदारता से करे।

४. **मेरे पीछे उक्त त्रयोविंशति आर्यजनों की सभा सर्वथा मेरे स्थानापन्न समझी जाय अर्थात् जो अधिकार मुझे अपने सर्वस्व का है वही अधिकार सभा को है और रहे,** यदि उक्त सभासदों में से कोई इन नियमों से विरुद्ध स्वार्थ के वश होकर वा कोई अन्य जन अपना अधिकार जतावे तो वह सर्वथा मिथ्या समझा जाय।

५. जैसे इस सभा को अपने सामर्थ्य के अनुसार वर्त्तमान समय में मेरी और मेरे समस्त पदार्थों की रक्षा और उन्नति करने का अधिकार है, वैसे ही मेरे मृतक शरीर के संस्कार करने-कराने का भी अधिकार है अर्थात् जब मेरा देह छूटे तो न उसको गाड़ने, न जल में बहाने, न जङ्गल में फेंकने दे, केवल चन्दन की चिता बनावे और जो यह सम्भव न हो तो दो मन चन्दन, चार मन घी, पाँच सेर कपूर, ढाई सेर अगर-तगर और दश मन काष्ठ लेकर वेदानुकूल जैसे कि संस्कारविधि में लिखा है वेदी बनाकर, तदुक्त वेदमन्त्रों से होम करके भस्म करे, इससे भिन्न कुछ भी वेदविरुद्ध क्रिया न करे। और जो सभाजन उपस्थित न हों तो जो कोई समय पर उपस्थित हो, वही पूर्वोक्त क्रिया कर दे और जितना धन उसमें लगे उतना सभा से ले ले और सभा उसको दे दे।

६. अपनी विद्यमानता में और मेरे पश्चात् यह सभा चाहे जिस सभासद् को पृथक् करके उसका प्रतिनिधि किसी अन्य योग्य सामाजिक आर्यपुरुष को नियत कर सकती है परन्तु कोई सभासद् सभा से तब तक पृथक् न किया जाय, जब तक उसके कार्य में अन्यथा व्यवहार न पाया जाय।

७. मेरे सदृश यह सभा सदैव स्वीकारपत्र की व्याख्या वा उसके नियम और प्रतिज्ञाओं के पालन वा किसी सभासद् के पृथक् और उसके स्थान में अन्य सभासद् के नियत करने वा मेरे विपत् और आपत्काल के निवारण करने के उपाय और यत्न में वह उद्योग करे जो समस्त सभासदों की सम्मति से निश्चय और निर्णय पाया वा पावें और जो सम्मति में परस्पर विरोध हो तो बहुपक्षानुसार प्रबन्ध करे और सभापति की सम्मति को सदैव द्विगुण जाने।

८. किसी समय भी यह सभा तीन से अधिक सभासदों की अपराध की परीक्षा कर पृथक् न कर सके, जब तक पहिले तीन के प्रतिनिधि नियत न करले।

९. यदि सभा में से कोई पुरुष मर जाय या पूर्वोक्त नियमों और वेदोक्त धर्मों को त्यागकर विरुद्ध चलने लगे, तो इस सभा के सभापति को उचित है कि सब सभासदों की सम्मति से पृथक् करके उसके स्थान में किसी अन्य योग्य वेदोक्त धर्मयुक्त आर्यपुरुष को नियत करदे परन्तु जब तक नित्यकार्य के अनन्तर नवीन कार्य का आरम्भ न हो।

१०. इस सभा को सर्वथा प्रबन्ध करने और नवीन युक्ति निकालने का अधिकार है परन्तु जो सभा को अपने परामर्श और विचार पर पूरा-पूरा निश्चय और विश्वास न हो तो पत्र द्वारा समय नियत करके सम्पूर्ण आर्यसमाजों से सम्मति ले ले और बहुपक्षानुसार उचित प्रबन्ध करे।

११. प्रबन्ध न्यूनाधिक करना वा स्वीकार वा अस्वीकार करना वा किसी सभासद् को पृथक् वा नियत करना वा आय-व्यय और संचय का जांच-पड़ताल करना आदि लाभ-हानि सब सभासदों को वार्षिक वा षाण्मासिक पत्र द्वारा सभापति छपवा कर विदित करे।

१२. इस स्वीकारपत्र संबन्धी कोई झगड़ा, टंटा सामयिक राज्याधिकारियों की कचहरी में निवेदन न किया जाय। यह सभा अपने आप न्यायव्यवस्था करले परन्तु जो अपनी सामर्थ्य से बाहर हो तो राजगृह में निवेदन करके अपना कार्य सिद्ध करले।

१३. यदि मैं अपनी जीते जी किसी योग्य आर्य्यजन को पारितोषिक अर्थात् पेन्शन देना चाहूँ और उसकी लिखत-पढ़त करा के रजिस्टरी करा दूँ तो सभा को उचित है कि उसको माने और दे।

१४. किसी विशेष लाभ, उन्नति, परोपकार और सर्वहितकारी कार्य के वश मुझे और मेरे पीछे सभा को पूर्वोक्त नियमों के न्यूनाधिक करने का सर्वथा सदैव अधिकार है।

ह० दयानन्दसरस्वती

परोपकारिणी सभा से जुड़े कुछ व्यक्तित्व

महर्षि द्वारा निर्वाचित परोपकारिणी सभा के प्रथम २३ सभासद्

१- मेदपाटेश्वर महाराणा श्री सज्जनसिंह-प्रधान

महाराणा सज्जनसिंह का जन्म ८ जुलाई १८५९ को महाराज शक्तिसिंह के यहाँ हुआ। अपने चचेरे भाई महाराणा शम्भुसिंह के परलोकवासी होने पर १५ वर्ष की आयु में ७ अक्टूबर १८७४ को आपको मेवाड़ की गद्दी पर अभिषिक्त किया गया। महाराणा का अनुरोध स्वीकार कर स्वामीजी ११ अगस्त १८८२ ई. को उदयपुर पहुँचे। महाराणा ने उन्हें सज्जन निवास (नौलखा बाग) में ठहराया। वे नियमित रूप से श्रीसेवा में उपस्थित होते तथा स्वामीजी से राजनीति, दर्शन, व्याकरण आदि का नियमित रूप से अध्ययन करते। उदयपुर रहते हुये ही स्वामी जी ने अपना स्वीकारपत्र लिखा तथा मेवाड़ राज्य की सर्वोच्च शासक सभा महद्राज सभा से पञ्जीकृत कराया तथा महाराणा को परोपकारिणी सभा का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया। स्वामीजी के निधन के एक वर्ष पश्चात् ही पौष शुक्ल ६ सं. १९४१ वि. (२६ दिसम्बर १८८४ ई.) को महाराणा सज्जनसिंह का केवल २५ वर्ष की आयु में ही स्वर्गवास हो गया। महाराणा यदि दीर्घायु होते तो निश्चय ही उनके नेतृत्व में परोपकारिणी सभा एवं आर्यसमाज महर्षि दयानन्द के स्वप्न को साकार करने में अधिक सक्षम होते। परोपकारिणी सभा का प्रथम अधिवेशन महाराणाजी के जीवनकाल में ही २८-२९ दिसम्बर १८८३ ई. को अजमेर में हुआ था, परन्तु अपनी शारीरिक अस्वस्थता के कारण वे उसमें उपस्थित नहीं हो सके थे।

२-राय मूलराज एम.ए. (एक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिश्नर)- उपसभापति

राय मूलराज का मूल निवास स्थान लुधियाना था। आप अत्यन्त मेधावी तथा प्रतिभाशाली पुरुष थे। मेरठ में प्रथम बार परोपकारिणी सभा का निर्माण होने पर राय मूलराज उसके प्रथम उपसभापति बनाये गये। स्वामीजी का राय मूलराज में अत्यधिक विश्वास भी था। कालान्तर में मांस-भक्षण तथा कतिपय अन्य कारणों से गत शताब्दी के अन्तिम दशाब्द में जब आर्यसमाज का विभाजन हो गया तो राय मूलराज मांस-भक्षण का समर्थन करने वाले दल के एक नेता माने गये। उन्होंने 'दश प्रश्नी' नामक एक विवादास्पद पुस्तिका भी लिखी जिसमें यह प्रतिपादन करने की चेष्टा की गई थी कि आर्यसमाज का सदस्य बनने के लिये मात्र दस नियमों पर हस्ताक्षर करना ही आवश्यक है।स्वामी दयानन्द के सिद्धान्तों एवं मन्तव्यों में आस्था रखना आवश्यक नहीं है। राय मूलराज स्वामीजी द्वारा किये गये वेदार्थ को निर्भ्रान्त नहीं मानते थे। 'दश प्रश्नी' में उठाये गये विवादास्पद प्रश्नों का सटीक उत्तर महात्मा हंसराज ने 'दश प्रश्नी की समीक्षा' लिखकर दिया।

परोपकारिणी सभा के अधिवेशनों में राय मूलराज ने बड़ी तत्परतापूर्वक भाग लिया। उन्होंने प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की तथा जब तक नये सभापति का निर्वाचन (१८९३ ई.) नहीं हो गया वे सभा के कार्यवाहक सभापति बने रहे। पुन: वे १९४१ तक सभा के उपसभापति पद पर प्रतिष्ठित रहे।

३- कविराजा श्यामलदास- मन्त्री

कविराजा श्यामलदास दधिवाड़िया गोत्र के चारण थे। इनका जन्म आषाढ़ कृष्ण ७ सं. १८९३ वि. को हुआ था। ये संस्कृत, हिन्दी, राजस्थानी (डिंगल) आदि भाषाओं के मर्मज्ञ थे। उदयपुर महाराणा ने इन्हें पौष शुक्ल २ सं. १९३५ को 'कविराजा' की उपाधि प्रदान की। अंग्रेजी सरकार ने भी १ जनवरी १८८८ ई. को 'महामहोपाध्याय' की पदवी प्रदान कर कविराजाजी को सम्मानित किया। कविराजा श्यामलदास की प्रमुख कृति 'वीर विनोद' मेवाड़ राज्य का बृहद् इतिहास है जो लगभग ३ हजार पृष्ठों में लिखा जाकर १९४६ वि. में तैयार हुआ। सं. १९५१ को इनका निधन उदयपुर में हुआ। यद्यपि कविराजा जी को सभा के मन्त्री पद पर स्वामीजी ने ही प्रतिष्ठित किया था, परन्तु वे अपनी अस्वस्थता के कारण इस कार्य का वहन भली-भाँति नहीं कर पाये। सभा के द्वितीय अधिवेशन (दिसम्बर १८८५ ई.) में उन्होंने अपना

त्यागपत्र प्रस्तुत किया जिसे खेदपूर्वक स्वीकार कर लिया गया।

४-लाला रामशरणदास रईस (उपप्रधान आर्यसमाज मेरठ) प्रथम मन्त्री

मेरठ निवासी प्रतिष्ठित रईस लाला रामशरणदास स्वामीजी के परम भक्त तथा विश्वासपात्र थे। लालाजी का निधन परोपकारिणी सभा के प्रथम अधिवेशन से पूर्व ही १० जून १८८३ ई. को हो गया था। अत: इनके स्थान पर पं. गोपालराव हरि देशमुख को सभा के मन्त्री पद पर नियुक्त किया गया। यद्यपि लाला रामशरणदास परोपकारिणी सभा में अपना सक्रिय योगदान नहीं कर सके, परन्तु वे स्वामीजी के अत्यन्त श्रद्धालु एवं विश्वस्त अनुयायी थे। अपने मेरठ प्रवास के समय स्वामीजी लालाजी की कोठी पर ही ठहरा करते थे। उनके व्याख्यानादि भी वहीं होते थे। लालाजी ने स्वामीजी की नितान्त भक्तिभाव से सेवा की तथा उनके बताये आदर्शों पर चलते रहे।

५-पं. मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या- उपमन्त्री

पण्ड्याजी का जन्म मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीय सं. १९०७ वि. मंगलवार को हुआ। काशी निवासकाल में पण्ड्याजी की घनिष्ठता हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकार भारतेन्दु हरश्चिन्द्र से हो गई। पण्ड्याजी भी साहित्यिक अभिरुचि सम्पन्न व्यक्ति थे। भारतेन्दु द्वारा प्रवर्तित 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' पत्रिका को इन्होंने 'मोहन चन्द्रिका' नाम से नाथद्वारा से प्रकाशित किया। इसी पत्रिका में महाभारत काल के परवर्ती आर्य राजाओं की सूची प्रकाशित हुई थी, जिसे स्वामीजी ने सत्यार्थप्रकाश के एकादश समुल्लास के अन्त में उद्धृत किया है।

१८७७ ई. में पण्ड्याजी मेवाड़ राज्य की सेवा में आये। तत्पश्चात् उदयपुर की सदर अदालत की दीवानी का काम इन्हें मिला। पुन: स्टेट कौन्सिल (महद्राज सभा) के सदस्य तथा सचिव भी बनाये गये। उदयपुर में परोपकारिणी सभा के संगठित होने पर स्वामीजी ने पण्ड्याजी को इस सभा का प्रथम उपमन्त्री मनोनीत किया। अजमेर में जब ३० अक्टूबर १८८३ को श्रीमहाराज का परलोक गमन हुआ था तो उस समय पण्ड्याजी ने ही परोपकारिणी सभा के उपमन्त्री के अधिकार से स्वामीजी की पुस्तक, द्रव्य एवं अन्य वस्तुओं को स्व-अधिकार में लिया था। परोपकारिणी सभा के कार्य संचालन में पण्ड्याजी का योगदान महत्त्वपूर्ण है। पण्ड्याजी उच्चकोटि के लेखक तथा साहित्यकार थे। सैद्धान्तिक विषयों पर उनके निम्न ग्रन्थ प्रकाशित हुये:-

१. आर्यावर्तान्तर्गत आर्यसमाजों के दस नियम

२. आर्य सिद्धान्त मार्तण्ड भाग १

३. आर्य सिद्धान्त मार्तण्ड भाग २

४. आर्य सिद्धान्त मार्तण्ड भाग ४

५. आर्यों के संवत्सर की गणना ६, आर्य शिक्षा भाग ४

पण्ड्याजी का स्वामीजी से अत्यन्त सौहार्द भाव था। वे पण्ड्याजी के आग्रहवश ही चित्तौड़ आये थे, जहाँ महाराणा उदयपुर से उनकी प्रथम भेंट हुई। पण्ड्याजी स्वामीजी की देशभक्ति, लोकमंगल की भावना तथा सर्वांगीण प्रगतिशील विचारधारा से अत्यन्त प्रभावित थे। ४ दिसम्बर १९१२ को ६२ वर्ष की आयु में पण्ड्याजी का निधन मथुरा में हुआ।

६- राजाधिराज नाहरसिंह वर्मा, शाहपुराधीश- सभासद्

राजन्य वर्ग में श्रीमहाराज के प्रमुख शिष्य राजाधिराज नाहरसिंहजी का जन्म कार्तिक कृष्ण १३ सं. १९१२ वि. को ठिकाना धनोप के ठाकुर धीरतसिंह के यहाँ हुआ। शाहपुरा नरेश की गद्दी पर ज्येष्ठ शुक्ल १३ सं. १९२६ वि. को विराजमान हुये। स्वामीजी से इनकी प्रथम भेंट चित्तौड़ में हुई थी और वे प्रथम दर्शन में ही महाराज के तेजस्वी व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित हुये।७८ वर्ष की आयु में राजाधिराज का निधन आषाढ़ कृष्ण ६ सं. १९८९ को हुआ। राजाधिराज ने स्वामीजी की स्मृति में दयानन्द आश्रम के स्थापना हेतु अजमेर में आनासागर स्थित अपना विशाल बाग सभा को प्रदान किया, जहाँ कालान्तर में दयानन्द सरस्वती भवन, साधु आश्रम, यज्ञशाला एवं ऋषि उद्यान आदि की प्रवृत्तियाँ संचालित

की गईं। जब महाराणा सज्जनसिंहजी के असामयिक निधन के कारण परोपकारिणी सभा के प्रधान का पद एक वर्ष के भीतर ही रिक्त हो गया तो १८९३ (दिसम्बर) में सभा के छठे अधिवेशन में राजाधिराज शाहपुरा श्री नाहरसिंहजी सभा के प्रधान पद पर प्रतिष्ठित किये गये।

७- राव तख्तसिंह बेदला, मेवाड़

मेवाड़ ठिकाना बेदला के ये जागीरदार थे। १८९३ में इनका निधन हुआ।

८- राजराणा फतहसिंह वर्मा देलवाड़ा, मेवाड़

मेवाड़ की देलवाड़ा जागीर के स्वामी थे। १९३० ई. में आपका निधन हुआ।

९- रावत अर्जुनसिंह वर्मा आसींद, मेवाड़

जब महाराणा सज्जनसिंह जी का देहान्त हो गया तो उनके उत्तराधिकारी महाराणा फतहसिंहजी को सभा का अध्यक्ष पद स्वीकार करने हेतु प्रार्थना करने का कार्य रावत अर्जुनसिंहजी को सौंपा गया था। आपके आग्रह को स्वीकार कर उक्त महाराणा ने सभा की संरक्षकता स्वीकार की।

१०- महाराज गजसिंह वर्मा शिवरती, उदयपुर

उदयपुर राज्य के अन्तर्गत शिवरती ठिकाने के आप ठाकुर थे। महाराणा सज्जनसिंह के देहावसान पर महाराणा पद फतहसिंहजी को प्राप्त हुआ। वे इनके छोटे भाई थे। इनका जन्म १९८७ वि. तथा निधन १९५७ वि. में हुआ।

११- राव बहादुरसिंह वर्मा मसूदा, अजमेर- सभासद्

अजमेर जिलान्तर्गत मसूदा ठिकाने के इस्तमरार (जमींदार) राव बहादुरसिंहजी स्वामीजी के परमभक्त तथा अनुयायी थे। राव साहब के आग्रह पर स्वामीजी दो बार मसूदा पधारे। राव साहब ने अपने रामबाग नामक उद्यान में स्वामीजी के निवास हेतु एक छोटा भवन बनवाया था। राव साहब ने विदा के समय वेदभाष्य प्रकाशन में सहायता हेतु ४०० रुपये स्वामीजी की सेवा में भेंट किये। अन्तिम रुग्णावस्था में जब स्वामीजी अजमेर आये तो उन्हें मसूदा के बंगले पर ही रखा गया। जोधपुर से जब स्वामीजी ने प्रस्थान का विचार किया जो उनके मन में मसूदा जाने का भाव ही प्रथमतः आया था, इससे भी वहाँ के शासक राव साहब के प्रति स्वामीजी का सौहार्द्र भाव सूचित होता है।

राव साहब के निरीक्षण में ही दयानन्द आश्रम स्थापित किये जाने के लिये अजमेर के केसरगंज मुहल्ले में भूमि क्रय की गई तथा उन्हीं की देखरेख में दयानन्द आश्रम का विशाल भवन निर्मित हुआ। २८ दिसम्बर १८९६ के अधिवेशन में राव साहब का सभासद् पद से त्याग-पत्र विचारार्थ प्रस्तुत हुआ जिसे स्वीकार कर लिया गया। रावसाहब का निधन १० जुलाई १९०३ को हुआ।

१२- रावबहादुर पं. सुन्दरलाल सुपरिन्टेंडेण्ट, पोस्टल वर्कशॉप और प्रेस, आगरा

पं. सुन्दरलाल का स्वामीजी से प्रथम सम्पर्क उस समय हुआ जब वे दण्डीजी की पाठशाला में अपना अध्ययन समाप्त कर प्रचार क्षेत्र में अवतीर्ण हुये थे। उस समय पं. सुन्दरलाल आगरा में डाक विभाग के एक उच्च पद पर प्रतिष्ठित थे। पण्डितजी के प्रति स्वामीजी का अगाध स्नेह और विश्वास था। महाराज के निधन के थोड़े समय पश्चात् ही पं. सुन्दरलाल अजमेर पहुँचे। स्वामीजी की अन्त्येष्टि के समय जब पं. सुन्दरलाल ने गुरु महाराज का किञ्चित् गुणानुवाद करना चाहा तो वे भावविह्वल हो गये। गद गद कण्ठ हो जाने के कारण वे कुछ भी बोल नहीं सके। १८९० ई. में उनका निधन हुआ। जिस समय वैदिक यन्त्रालय प्रयाग में अवस्थित था, उस समय पं. सुन्दरलाल ही उसके अधिष्ठाता थे।

१३-राजा जयकृष्णदास सी.एस.आई.डिप्टी कलक्टर (बिजनौर) मुरादाबाद

राजा जयकृष्णदास मुरादाबाद निवासी माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। इन्होंने बिजनौर, मुरादाबाद आदि जिलों में डिप्टी कलक्टर के पद पर कार्य किया। महर्षि दयानन्द के परम भक्त राजा साहब ने ही स्वामीजी से प्रार्थना की थी कि वे अपने सिद्धान्तों का विवेचन करते हुये एक ऐसा ग्रन्थ लिखें जो उनके विचारों का प्रकाश करने में प्रदीपवत् हो। फलतः

स्वामीजी ने सत्यार्थप्रकाश की रचना की। इसके प्रथम संस्करण का व्यय भार राजा साहब ने ही उठाया था तथा इसे १८७५ ई. में काशी के स्टार प्रेस से मुद्रित कर प्रकाशित कराया।

१४- बाबू दुर्गाप्रसाद (कोषाध्यक्ष आर्यसमाज फर्रुखाबाद) रईस

(जन्म १२ अक्टूबर १८४७ ई.-मृत्यु २०अप्रैल १९०९ ई.) फर्रुखाबाद से स्वामी दयानन्द का विशेष सम्बन्ध रहा। वह यहाँ अनेक बार पधारे थे। प्रसिद्ध रईस बाबू दुर्गाप्रसाद महर्षि के अनन्य अनुयायी बन गये। १९३७ वि. में जब स्वामीजी का इस नगर में पदार्पण हुआ तो बाबू दुर्गाप्रसाद ने इन्हें आग्रहपूर्वक एक मास से भी अधिक समय तक ठहराया, स्वामीजी का सत्संग लाभ किया तथा उनके उपदेश सुने। बाबूजी ने सहस्रों रुपया आर्यसमाज के लोकहितकारी कार्यों में व्यय किया तथा वेदभाष्य निधि में ५०० रुपये प्रदान किये, साथ ही वैदिक यन्त्रालय की स्थापना हेतु एकत्रित किये गये कोष में भी ५०० रुपये भेंट किये। १९६६ वि. में ६२ वर्ष की आयु प्राप्त कर बाबू दुर्गाप्रसाद परलोकवासी हुये।

१५-लाला जगन्नाथप्रसाद रईस, फर्रुखाबाद

फर्रुखाबाद निवासी लाला जगन्नाथप्रसाद का जन्म १८९९ वि. में एक समृद्ध कुल में हुआ। जब स्वामी दयानन्द सं. १९२४ में प्रथम बार इस नगर में पधारे तो लालाजी ने उनके दर्शन किये तथा स्वामीजी के दृढ़ अनुयायी बन गये। स्वामीजी फर्रुखाबाद आकर लालाजी द्वारा निर्मित विश्रान्त (गंगातटवर्ती घाट) पर ही निवास करते थे। स्वामीजी के आतिथ्य, निवास, व्याख्यान, शास्त्रार्थ आदि की व्यवस्था में लालाजी का पूर्ण योग रहता था। श्री महाराज के उपदेश से लालाजी ने विधिपूर्वक यज्ञोपवीत धारण किया। लालाजी ने वेद भाष्य निधि में ५०० रुपये प्रदान किये तथा स्वामीजी के परमपदारूढ़ होने पर परोपकारिणी सभा के प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित होकर २००० रुपये दयानन्द आश्रम के निर्माण हेतु दिये। १० दिसम्बर १८९१ ई. को ४९ वर्ष की आयु में लालाजी का स्वर्गवास हुआ।

१६-सेठ निर्भयराम-प्रधान आर्यसमाज फर्रुखाबाद, बिसाऊ, राजस्थान

सेठ निर्भयराम मूलत: शेखावाटी (राजस्थान) के बिसाऊ ठिकाने के निवासी थे। आपका व्यवसाय फर्रुखाबाद में था। स्वामीजी के विश्वासपात्र वणिक् भक्तों में सेठजी का प्रमुख स्थान था। लोकोपकार हेतु जो द्रव्य श्री महाराज को भेंट रूप में प्राप्त होता, वह सेठजी के यहाँ ही जमा रहता। दयानन्द आश्रम के निर्माण हेतु आपने एक हजार रुपया प्रदान किया तथा वेद भाष्य सहायता निधि में भी उतने ही रुपये दिये। फर्रुखाबाद में वैदिक पाठशाला की स्थापना स्वामीजी के परामर्शानुसार आपने ही की। इस पाठशाला में स्वामीजी के सतीर्थ्य पं. उदयप्रकाश अध्यापन कार्य करते थे। पं. भीमसेन और पं. ज्वालादत्त, जो पर्याप्त समय तक स्वामीजी के साथ रहकर ग्रन्थ लेखन का कार्य करते रहे, इसी पाठशाला के छात्र रह चुके थे। इनकी पढ़ाई का व्यय भी सेठ निर्भयराम ने ही दिया था। वैशाख शुक्ला ४ सं. १९४६ वि. को ६४ वर्ष की आयु में सेठजी परलोकगामी हुये।

१७-लाला कालीचरण रामचरण-मन्त्री आर्यसमाज फर्रुखाबाद

फर्रुखाबाद के जिस धनाढ्य वर्ग ने स्वामीजी की शिक्षाओं को स्वीकार कर आर्यसमाज के सिद्धान्तों के प्रचार-प्रसार में अपना योगदान दिया उनमें लाला कालीचरण रामचरण के नाम उल्लेखनीय हैं। कालीचरण और रामचरण सहोदर भाई थे। १९३७ वि. में आप दोनों ने आर्यसमाज में प्रवेश किया। लाला कालीचरण आर्यसमाज फर्रुखाबाद के सात वर्ष तक मन्त्री रहे। परोपकारिणी सभा के प्रथम अधिवेशन में दोनों भाई सम्मिलित हुये थे तथा उन्होंने दयानन्द आश्रम की स्थापना में क्रमश: ५०० तथा १०० रुपये प्रदान किये। वैदिक यन्त्रालय की स्थापना हेतु लाला कालीचरण ने ५०० रुपये भेंट किये। १८९४ ई. में लाला रामचरण तथा १९०० में लाला कालीचरण का देहान्त हुआ। परोपकारिणी सभा का सभासद् पद दोनों भाइयों को संयुक्त रूप से प्राप्त था। लाला कालीचरण ने १८९० ई. में सभासद् पद से त्यागपत्र दे दिया जिसे स्वीकार कर लिया गया, परन्तु लाला रामचरण सभासद् बने रहे।

१८-बाबू छेदीलाल गुमाश्ते, मुरार

इनका निवास स्थान मेरठ था। ये स्वामीजी के विश्वासपात्र भक्त थे। जब महाराष्ट्र निवासिनी विदुषी रमाबाई स्वामीजी से भेंट करने आई तो उसे छेदीलाल जी के बंगले पर ठहराया गया। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कर्नल आल्काट तथा मैडम ब्लैवेट्स्की भी उन्हीं दिनों उसी बंगले में ठहरे थे। सभा के किसी भी अधिवेशन में ये उपस्थित नहीं हो सके।

१९-लाला सांईदास, मन्त्री आर्यसमाज लाहौर- सभासद्

पंजाब के जो कर्मठ पुरुष स्वामी दयानन्द के सम्पर्क में आये उनमें लाला सांईदास का नाम अग्रगण्य है। लालाजी का जन्म जालन्धर जिले की फिल्लौर तहसील के अन्तर्गत लस्साड़ा ग्राम में १८४१ ई. में हुआ। अमृतसर से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण कर ये पंजाब के गवर्नर के कार्यालय में क्लर्क बन गये। सरकारी सेवा में रहते हुये भी लाला सांईदास की प्रवृत्ति समाज-सुधार तथा धर्म-शोधन की ओर थी। प्रारम्भ में वे ब्रह्मसमाज के सदस्य बने, पुन: सत्यसभा नामक एक अन्य संस्था की स्थापना की, अन्तत: स्वामी दयानन्द के लाहौर आगमन पर इस दिव्य संन्यासी की क्रान्तिकारी शिक्षाओं को स्वीकार कर आर्यसमाज के सभासद् बन गये। २४ जून १८७७ को जब सर्वप्रथम लाहौर में आर्यसमाज की स्थापना हुई तो लाला सांईदास उसके मन्त्री बनाये गये। लाला सांईदास स्वदेशी वस्त्र, स्वदेशी भाषा तथा स्वदेशी विचारधारा के कट्टर पक्षपोषक थे। आर्यसमाज में नवयुवकों को प्रविष्ट कराने के आप घोर समर्थक थे। लाला लाजपतराय, महात्मा मुन्शीराम आदि अग्रणी नेता लालाजी का प्रोत्साहन पाकर ही आर्यसमाज के प्रमुख कार्यकर्त्ता बन सके। जून १८९० में आपका परलोकवास हुआ।

२०- बाबू माधोलाल मन्त्री, आर्यसमाज दानापुर, बिहार

कतिपय अन्य स्थानों की भाँति बिहार का दानापुर नगर स्वामीजी की शिक्षाओं को ग्रहण करने में अग्रगण्य रहा। यहाँ के निवासी बाबू माधोलाल ने स्वामीजी को १८७९ ई. में आमन्त्रित किया। फलत: ३० अक्टूबर १८७९ को वे दानापुर पधारे और उक्त बाबू माधोलाल के गृह पर ही निवास किया। उन्होंने स्वामीजी के कर कमलों से यज्ञोपवीत भी धारण किया था।

२१-राव बहादुर रा. रा. पं. गोपालराव हरि देशमुख सदस्य, गवर्नर कौंसिल बम्बई, प्रधान आर्यसमाज बम्बई- सभासद्

महाराष्ट्र के जिन उच्चपदस्थ तथा विचारशील लोगों ने स्वामीजी की विचारधारा को सर्वात्मना स्वीकार किया था उनमें पं. गोपालराव हरि देशमुख प्रमुख थे। राव बहादुर प्रथम बम्बई में न्यायाधीश रहे। कालान्तर में गवर्नर की कौन्सिल के सदस्य भी बने। 'लोकहितवादी' नामक अपनी मराठी पुस्तक (निबन्ध संग्रह) में देशमुख महाशय ने स्वामीजी के ओजस्वी व्यक्तित्व तथा उनके महान् कृतित्व का विशद मूल्यांकन किया। लाला रामशरणदास के निधन पर रावबहादुर को परोपकारिणी सभा के प्रथम अधिवेशन में ही मन्त्री पद पर नियुक्त किया गया था।

२२-रावबहादुर रा. रा. महादेव गोविन्द रानाडे, न्यायाधीश पूना- सभासद्

सुप्रसिद्ध समाज-सुधारक, विचारक तथा महाराष्ट्र के विख्यात नेता महामति रानाडे प्रथम प्रार्थना समाज से संबन्धित रहे। प्रार्थना समाज की स्थापना कर उन्होंने महाराष्ट्र में समाज-सुधार की नींव डाली। स्वामी दयानन्द को उन्होंने १८७५ ई. में पूना आमन्त्रित किया जहाँ वे न्यायाधीश पद पर कार्य कर रहे थे। रानाडे की प्रेरणा से ही स्वामीजी ने भिड़े के बाड़े में तथा पूना छावनी में लगभग ५० व्याख्यान दिये। इस व्याख्यानमाला की समाप्ति पर उन्हीं की प्रेरणा से स्वामीजी के अभिनन्दन में एक सभा का आयोजन किया गया, परन्तु पौराणिक समुदाय ने इस सभा को भंग करने तथा स्वामी जी महाराज का अपमान करने के लिये एक गधे का जुलूस निकाला।

देशभर की आर्यसमाजों को परस्पर संगठित करने तथा उनका परोपकारिणी सभा से सम्बन्ध स्थापित करने का प्रस्ताव भी रानाडे ने ही उपस्थित किया था।

२३-पं. श्यामजी कृष्ण वर्मा प्रोफेसर संस्कृत, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी- सभासद्

संस्कृत के अद्वितीय विद्वान् तथा क्रान्तिकारी देशभक्त श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म कच्छ राज्य के मांडवी नामक ग्राम में कार्तिक कृष्ण २ सं. १९१४ वि. (५ अक्टूबर १८५७ ई.) को हुआ। अक्टूबर १८७४ में श्यामजी की स्वामीजी से प्रथम भेंट बम्बई की भाटिया धर्मशाला में हुई। स्वामीजी इस मेधावी किशोर की अध्ययन प्रवणता को पहचान गये तथा उनके संस्कृत शिक्षण की समुचित व्यवस्था कर दी। स्वामीजी की प्रेरणा से ही श्यामजी का विवाह एक सम्पन्न पुरुष सेठ छबीलदास भंसाली की कन्या भानुमती के साथ हो गया। उच्चतर अध्ययन के लिये स्वामीजी ने श्यामजी को १८७९ मार्च में इंग्लैण्ड भेजा। यहाँ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में वे संस्कृत के प्राध्यापक बन गये तथा उच्चतर अध्ययन भी करते रहे। स्वामीजी का श्यामजी से निरन्तर पत्र-व्यवहार होता रहता था।

१८८५ ई. में बैरिस्टर की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर श्यामजी कृष्ण वर्मा स्वदेश आये। कुछ समय पश्चात् श्यामजी की राजनैतिक और क्रान्तिकारी गतिविधियाँ बढ़ गईं। अब वह पुन: लन्दन पहुँचे और इण्डियन होमरूल सोसाइटी की स्थापना (१८ फरवरी १९०५) की तथा इण्डियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र निकाला। विनायक दामोदर सावरकर जैसे क्रान्तिकारी देशभक्त श्यामजी के ही शिष्य थे। अन्तत: श्यामजी को को इंग्लैण्ड से निर्वासित होना पड़ा और स्विट्ज़रलैण्ड के जिनेवा नगर में ३१ मार्च १९३० को उनका निधन हुआ।

२८ दिसम्बर १८८५ ई. के अधिवेशन में पं. मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या के द्वारा सभा के मन्त्री पद स्वीकार कर लेने पर श्यामजी कृष्ण वर्मा को उपमन्त्री नियुक्त किया गया। जब वैदिक यन्त्रालय अजमेर स्थानान्तरित किया गया तो पं. श्यामजीकृष्ण वर्मा उसके अधिष्ठाता पद पर रहे।

अन्य सभासद्

२४- लाला हंसराज बी.ए. लाहौर

(जन्म १९ अप्रैल १८६४ ई.-निधन १५ नवम्बर १९३८) आर्यसमाज के महान् शिक्षाशास्त्री, त्यागी एवं तपस्वी नेता महात्मा हंसराज सेठ निर्भयराम के १८९० में स्वर्गवासी होने पर उसी वर्ष सभासद् बनाये गये। महात्मा हंसराज ने डी.ए.वी. कॉलेज लाहौर का अवैतनिक रूप से प्रिन्सिपल पद स्वीकार कर उसे आर्यसमाज का एक अद्वितीय शिक्षण संस्थान बनाया, बाद में आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का संगठन कर वैदिक धर्म प्रचार-कार्य में तत्परता दिखाई। महात्माजी का निधन १५ नवम्बर १९३८ को हुआ। महात्माजी परोपकारिणी सभा के कार्यों में बराबर रुचि लेते थे।

२५-दीवान बहादुर हरबिलास शारदा

लाला सांईदास की मृत्यु (१८९०) के कारण रिक्त हुये स्थान पर श्री हरविलास शारदा चुने गये। आधी शताब्दी से भी अधिक समय तक परोपकारिणी सभा के मन्त्री पद पर रह कर उसका सूत्र संचालन करने वाले दीवान बहादुर हर विलास शारदा का जन्म ३ जून १८६७ ई. को अजमेर में श्री हरनारायण शारदा के यहाँ हुआ। बाल्यकाल में ही स्वामी दयानन्द के दर्शन तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ था। १८९० में वे परोपकारिणी सभा के सभासद् बने तथा तीन वर्ष पश्चात् १८९३ ई. में वे इस सभा के संयुक्त मन्त्री पद पर चुने गये। बालविवाह निरोधक कानून पारित करा कर शारदा एक्ट के जनक के रूप में ख्याति प्राप्त की। शारदा जी ने अंग्रेजी में स्वामीजी का बृहत् जीवन-चरित (Life of Dayanand Saraswati) लिखा तथा १९३३ ई. में महर्षि की निर्वाण अर्द्धशताब्दी के अवसर पर दयानन्द स्मृति ग्रन्थ (Dayanand Commemoration Volume) का सम्पादन किया। २० जनवरी १९५५ को आपका निधन हुआ।

२६-लाला लाजपतराय वकील, हिसार

प्रसिद्ध देशभक्त तथा आर्यसमाज के प्रख्यात नेता लाला लाजपतराय को परोपकारिणी सभा का सभासद् ६ सितम्बर १८९१ के अधिवेशन (संख्या ६) में बनाया गया। एक स्थान तो महाराणा सज्जनसिंहजी की मृत्यु (१८८४) के कारण लगभग ७ वर्ष से ही रिक्त था। यह आशा थी कि उदयपुर के तत्कालीन नरेश महाराणा फतहसिंहजी इस पद को स्वीकार कर लेंगे। वे सभा के संरक्षक बनने के लिये तो सहमत हो गये थे किन्तु सदस्यता स्वीकार नहीं की। दूसरा स्थान रा. ब. सुन्दरलालजी के निधन के कारण १८९० में रिक्त हुआ था। प्रथम रिक्त स्थान पर लालाजी को सभासद् पद दिया गया। यद्यपि लालाजी का सामाजिक और राजनैतिक जीवन अत्यन्त व्यस्ततापूर्ण था, तथापि वे महर्षि की उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी सभा की प्रवृत्तियों में यथाशक्य रुचि लेते थे।

२७-रावसाहब कर्णसिंह, बेदला

२८ दिसम्बर १८९६ को सभा के ९ वें अधिवेशन में सभासद् बने। सभा के किसी भी अधिवेशन में इनकी उपस्थिति नहीं हुई।

२८-महाराज कुमार उम्मेदसिंहजी, शाहपुरा

शाहपुराधीश सर नाहरसिंहजी के युवराज श्री उम्मेदसिंहजी २७ दिसम्बर १९०६ के १० वें अधिवेशन में सभासद् बनाये गये। १८९६ के पश्चात् १९०६ में ही सभा का अधिवेशन हो पाया था। अपने पिता की ही भाँति श्री उम्मेदसिंहजी भी स्वामी दयानन्द के परमभक्त तथा आर्यसमाज के प्रति समर्पित व्यक्तित्व वाले राजपुरुष थे। १९३३ में ऋषि निर्वाण अर्द्धशताब्दी का उत्सव आपकी अध्यक्षता में ही मनाया गया। आप कालान्तर में सभा के प्रधान भी रहे। १९५४ ई. को आपका निधन हो गया।

२९-महात्मा मुन्शीराम (स्वामी श्रद्धानन्द) मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी

आर्यसमाज के महान् नेता, शुद्धि संगठन के मन्त्रदाता तथा गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के उद्भावक महात्मा मुन्शीराम को २७ दिसम्बर १९०६ में परोपकारिणी सभा का सभासद् मनोनीत किया गया। महात्मा मुन्शीराम ने आर्यसमाज की विभिन्न प्रवृत्तियों का सुचारु रूप से संचालन एवं नेतृत्व किया। यद्यपि वे आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान, गुरुकुल कांगड़ी के आचार्य एवं मुख्याधिष्ठाता आदि विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे थे, तथापि सभा की प्रवृत्तियों में भी उन्होंने पूर्ण रुचि एवं उत्साह से भाग लिया।

३०-पं. गंगाप्रसाद एम.ए. डिप्टी कलक्टर, गोरखपुर

आर्यसमाज के प्रसिद्ध विद्वान् तथा Fountain Head of Religion जैसी उत्कृष्ट पुस्तक के रचयिता पं. गंगाप्रसाद का जन्म मई १८७१ ई. में मेरठ में हुआ। पर्याप्त समय तक ब्रिटिश शासन की सेवा करने के पश्चात् आप टिहरी राज्य में न्यायाधीश पद पर रहे। सार्वदेशिक सभा के प्रधान पद पर भी रहने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। आपके द्वारा रचित ग्रन्थों में 'धर्म का आदि स्रोत' के अतिरिक्त केन तथा कठ उपनिषद् का अंग्रेजी अनुवाद, जाति-व्यवस्था, ज्योतिषचन्द्रिका, गरुड़ पुराण की आलोचना, आत्मकथा आदि उल्लेखनीय हैं। पं. गंगाप्रसाद २७ दिसम्बर १९०६ ई. को परोपकारिणी सभा के सभासद् बने। पं. गंगाप्रसादजी की सभा के प्रति सेवायें अवर्णनीय हैं। १३ जनवरी १९६६ को जयपुर में आपका निधन हुआ।

३१-श्री पं. भगवानदीन मिश्र, प्रधान, आर्य प्रतिनिधि सभा पश्चिमोत्तर प्रदेश

पं. भगवानदीन का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी १९२७ वि. को हरदोई जिले के एक ग्राम में हुआ। पं. भगवानदीन ने उत्तर-प्रदेश में वैदिक धर्म प्रचार तथा आर्यसमाज के संगठन का महत्त्वपूर्ण कार्य किया। वे वर्षों तक उत्तरप्रदेशीय आर्य प्रतिनिधि सभा के मन्त्री तथा प्रधान रहे। गुरुकुल वृन्दावन के मुख्याधिष्ठाता पद पर भी प्रतिष्ठित रहे। आपने अपना आर्य भास्कर प्रेस सभा को भेंट कर दिया। परोपकारिणी सभा में आपका प्रवेश २७ दिसम्बर १९०६ के अधिवेशन में हुआ। सभा के तीन अधिवेशनों में आप उपस्थित हुये। ४ जून १९१२ को आपका निधन हुआ।

महाराणा श्री सज्जनसिंह वर्मा (प्रथम प्रधान)
उदयपुराधीश
(कार्यकाल १९८३-१८८४)

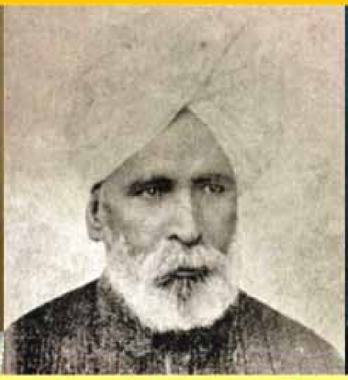

राय मूलराज एम.ए. (प्रथम उपसभापति)
एक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिश्नर, लाहौर
(कार्यकाल १८८३-१९४१)

कविराजा श्यामलदास (प्रथम मंत्री)
उदयपुर राज मेवाड़
(कार्यकाल १८८३-१८८५)

चित्र अनुपलब्ध

लाला रामशरण दास रईस (प्रथम मन्त्री)
मेरठ
(कार्यकाल २७ फरवरी १८८३ - १० जून १८८३)

पं. मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या (प्रथम उपमन्त्री)
उदयपुर
(कार्यकाल १८८३ को नियुक्त)

राजाधिराज नाहरसिंह वर्मा (आदिम सभासद)
शाहपुराधीश
(कार्यकाल १८८३-१९३३)

राव तख्तसिंह बेदला (आदिम सभासद्)
उदयपुर
(कार्यकाल १८८३ - १८९३)

राणा फतहसिंह वर्मा (आदिम सभासद्)
देलवाड़ा, उदयपुर
(कार्यकाल १८८३ - १८९०)

चित्र अनुपलब्ध

रावत अर्जुनसिंह वर्मा (आदिम सभासद्)
आसींद, उदयपुर
(कार्यकाल १८८३ में नियुक्त)

महाराज गजसिंह वर्मा (आदिम सभासद्)
शिवरती, उदयपुर
(कार्यकाल १८८३ में नियुक्त)

राव बहादुरसिंह वर्मा (आदिम सभासद्)
मसूदा
(कार्यकाल १८८३-१८९६)

राव बहादुर पं. सुन्दरलाल (आदिम सभासद्)
आगरा
(कार्यकाल १८८३ - १८९०)

राजा जयकृष्ण दास (आदिम सभासद्)
मुरादाबाद
(कार्यकाल १८८३ में नियुक्त)

बाबू दुर्गाप्रसाद रईस (आदिम सभासद्)
फर्रुखाबाद
(कार्यकाल १८८३ - १९०९)

चित्र अनुपलब्ध

लाला जगन्नाथप्रसाद रईस (आदिम सभासद्)
फर्रुखाबाद
(कार्यकाल १८८३ - १८९३)

सेठ निर्भयराम (आदिम सभासद्)
फर्रुखाबाद
(कार्यकाल १८८३ - १८९०)

लाला कालीचरण (आदिम सभासद्)
फर्रुखाबाद
(कार्यकाल १८८३ - १८९०)

लाला रामचरण (आदिम सभासद्)
फर्रुखाबाद
(कार्यकाल १८८३ में नियुक्त)

चित्र अनुपलब्ध

बाबू छेदीलाल गुमास्ते (आदिम सभासद्)
मुगर, ग्वालियर
(कार्यकाल १८८३ में नियुक्त)

लाला सांईदास (आदिम सभासद्)
लाहौर
(कार्यकाल १८८३-१८९०)

चित्र अनुपलब्ध

बाबू माधवदास (आदिम सभासद्)
दानापुर
(कार्यकाल १८८३ में नियुक्त)

रावबहादुर रा. रा. पं. गोपालराव हरि देशमुख
(आदिम सभासद्), गवर्नर कौंसिल बम्बई
(कार्यकाल १८८३-१८९३)

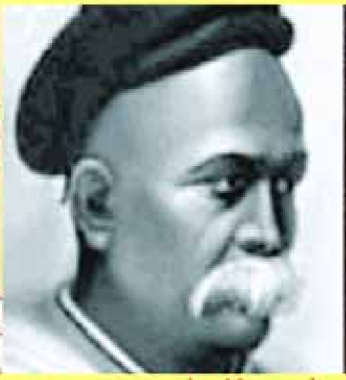

रावबहादुर रा. रा. महादेव गोविन्द रानाडे
(आदिम सभासद्), न्यायाधीश पूना
(कार्यकाल १८८३ को नियुक्त)

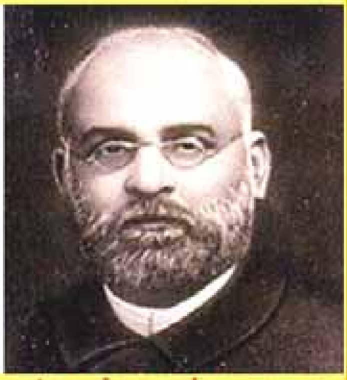

पं. श्यामजी कृष्ण वर्मा (आदिम सभासद्)
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी
(कार्यकाल १८८३ को नियुक्त)

लाला हंसराज बी.ए.
लाहौर
(कार्यकाल १८९०-१९३८)

दीवान बहादुर हर बिलास शारदा
अजमेर
(कार्यकाल १८९०-१९५५)

लाला लाजपतराय वकील
हिसार
(कार्यकाल १८९१-१९२८)

रावसाहब कर्णसिंह बेदला
उदयपुर
(कार्यकाल १८९६ को नियुक्त)

महाराज कुमार उम्मेदसिंह
शाहपुरा
(कार्यकाल १९०६-१९५४)

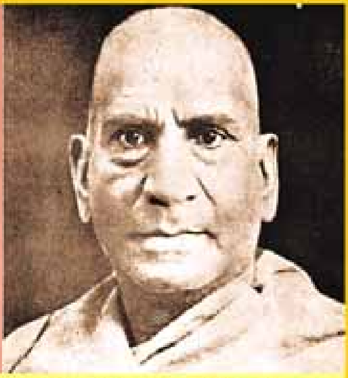

महात्मा मुन्शीराम (स्वामी श्रद्धानन्द)
मुख्याधिष्ठाता-गुरुकुल काँगड़ी
(कार्यकाल १९०६-१९२६)

पं. गंगाप्रसाद एम.ए.
डिप्टी कलक्टर-गोरखपुर
(कार्यकाल १९०६-१९६५)

श्री पं. भगवानदीन मिश्र
हरदोई
(कार्यकाल १९०६ को नियुक्त)

बाबू रामविलास शारदा
अजमेर
(कार्यकाल १९०६ को नियुक्त)

पं. घासीरामजी एम.ए. एल.एल.बी.
मेरठ
(कार्यकाल १९१६-१९३४)

आचार्य रामदेव
गुरुकुल कांगड़ी
(कार्यकाल १९१६-१९३१)

महाराजाधिराज साहू छत्रपति
कोल्हापुर नरेश
(कार्यकाल १९१८-१९२२)

महाराजाधिराज सर सयाजीराव गायकवाड़
बड़ौदा नरेश
(कार्यकाल १९२३-१९३९)

एच.एच. महाराजा सर राजाराम छत्रपति
कोल्हापुर
(कार्यकाल- १९२३-१९४०)

पंडित भगवद्दत्त बी.ए.
लाहौर
(कार्यकाल १९२३-१९६९)

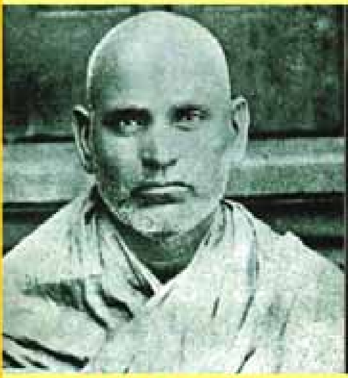

स्वामी विश्वेश्वरानन्द
शिमला
(कार्यकाल १९२३-१९२५)

श्री घनश्यामदास बिड़ला
कलकत्ता
(कार्यकाल १९२७-१९३०)

महात्मा नारायण स्वामी
दिल्ली
(कार्यकाल १९२९-१९४७)

राज्यरत्न मास्टर आत्मारामजी अमृतसरी
बड़ौदा
(कार्यकाल १९३०-१९३८)

डॉ. मानकरण शारदा एम.बी.बी.एस.
अजमेर
(कार्यकाल १९३० को नियुक्त)

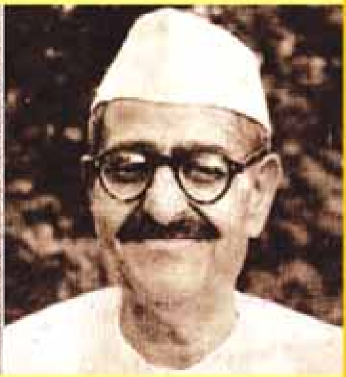

रायसाहब मदनमोहन सेठ एम.ए. एल.एल.बी.
बुलन्दशहर
(कार्यकाल १९३० को नियुक्त)

देशभक्त कुँवर चाँदकरण शारदा
अजमेर
(कार्यकाल १९३२-१९५७)

राव साहब श्री विजयसिंह
मसूदा
(कार्यकाल १९३३ को नियुक्त)

पं. ब्रह्मदत्त जिज्ञासु
लाहौर-वाराणसी
(कार्यकाल- १९३६-१९६४)

पं. आनन्दप्रिय
बड़ौदा
(कार्यकाल १९३८-१९९१)

राजा ज्वालाप्रसाद
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
(कार्यकाल १९३९-१९४४)

राजाधिराज सुदर्शनदेव
शाहपुरा
(कार्यकाल १९४२-१९५२)

महाशय कृष्ण
लाहौर
(कार्यकाल १९४२-१९६३)

स्वामी स्वतन्त्रानन्द
दिल्ली
(कार्यकाल १९४८-१९५४)

सेठ श्री नानजी कालिदास मेहता
पोरबन्दर
(कार्यकाल १९४९ को नियुक्त)

श्री देशबन्धु गुप्त
दिल्ली
(कार्यकाल १९५१-१९५१ एक वर्ष)

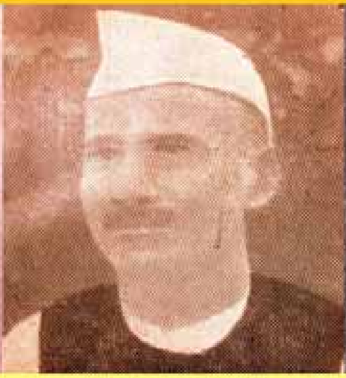

श्री घनश्यामसिंह गुप्त
दुर्ग (मध्यप्रदेश)
(कार्यकाल १९५२-१९५५)

डॉ. मंगलदेव शास्त्री एम.ए. डी.लिट
वाराणसी
(कार्यकाल १९५२ को नियुक्त)

सेठ प्रतापसिंह शूरजी वल्लभदास
बम्बई
(कार्यकाल १९५४ को नियुक्त)

महात्मा आनन्द स्वामी
दिल्ली
(कार्यकाल १९५५ को नियुक्त)

प्रो. इन्द्र विद्यावाचस्पति
दिल्ली
(कार्यकाल १९५५-१९५९)

स्वामी आत्मानन्द सरस्वती
यमुनानगर
(कार्यकाल १९५५-१९५९)

पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय
प्रयागराज
(कार्यकाल दिसम्बर १९५५ - अप्रैल १९५६)

श्री श्रीकरण शारदा
अजमेर
(कार्यकाल १९५९-१९८९)

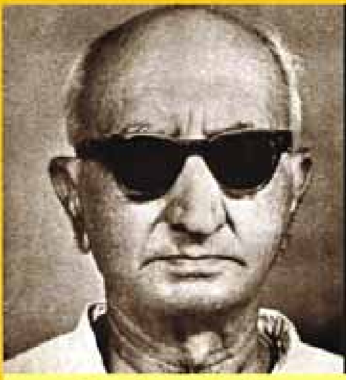

आचार्य उदयवीर शास्त्री
गाजियाबाद
(कार्यकाल १९६५-१९९१)

प्रो. शेरसिंहजी
नई दिल्ली
(कार्यकाल १९९१-१९९३)

डॉ. भवानीलाल भारतीय
अजमेर
(कार्यकाल १९७० को नियुक्त)

स्वामी सर्वानन्द सरस्वती
दीनानगर
(कार्यकाल १९८७-२००४)

स्वामी ओमानन्द सरस्वती
झज्जर
(कार्यकाल १९७७-२००३)

चौधरी चरणसिंह
मेरठ
(कार्यकाल १९७७-१९८०)

स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती
प्रयागराज
(कार्यकाल १९७६-१९९४)

श्री गजानन्द आर्य
कलकत्ता
(कार्यकाल १९८५ से वर्तमान)

डॉ. धर्मवीर
अजमेर
(कार्यकाल १९८५-२०१६)

३२-बाबू रामविलास शारदा, अजमेर

महर्षि दयानन्द की प्रथम सुविस्तृत हिन्दी जीवनी के लेखक बाबू रामविलास शारदा का जन्म पौष शुक्ल प्रतिपदा सं. १९२१ वि. को हुआ। बाल्यावस्था में ही आपने महर्षि के व्याख्यान सुने थे। स्वामीजी के निधन के पश्चात् आप विधिवत् आर्यसमाज के सभासद् बने। 'आर्य धर्मेन्द्र जीवन' आपके द्वारा लिखित महर्षि का विशद जीवन चरित है। आप परोपकारिणी सभा द्वारा संचालित सभी प्रवृत्तियों का प्रमुख रूप से सूत्र संचालन करते थे। जिस समय सार्वदेशिक सभा की स्थापना नहीं हुई थी उस समय भी ब्रह्मचारी नित्यानन्दजी तथा महात्मा मुन्शीरामजी जैसे नेताओं के सहयोग से वह आर्यसमाज की सार्वदेशिक प्रवृत्तियों का संचालन करते थे। सभा के द्वारा संचालित वैदिक यन्त्रालय को सुव्यवस्थित करने तथा उसे प्रान्त के सर्वश्रेष्ठ मुद्रणालय के रूप में विकसित करने का श्रेय राव साहब को ही है। ७ मई १९३१ को उनका स्वर्गवास हुआ।

३३-पं. घासीरामजी एम.ए. एल.एल.बी., मेरठ

२७ अक्टूबर १९१६ को सम्पन्न हुये सभा के १७ वें अधिवेशन में आर्यसमाज के प्रसिद्ध साहित्यकार तथा महर्षि की जीवनी के प्रामाणिक लेखक पं. घासीरामजी सभा के सदस्य बने। इनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा १९२९ वि. को मेरठ में लाला द्वारकादास के यहाँ हुआ। आर्य प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त के वे वर्षों उपप्रधान और प्रधान रहे। पं. घासीराम ने प्रसिद्ध बंगाली जीवनी लेखक देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय रचित स्वामी दयानन्द के जीवन चरित का अनुवाद किया तथा उसे पूरा भी किया। उन्होंने देवेन्द्रबाबू द्वारा लिखित दयानन्द चरित (लघु) तथा विरजानन्द चरित का भी अनुवाद किया। उन्होंने स्वामीजी की ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया। ३० नवम्बर १९३४ को पण्डितजी का देहान्त हुआ। सभा की साहित्यिक एवं अनुसंधानात्मक प्रवृत्तियों में पं. घासीरामजी का पूर्ण योगदान रहा।

३४-आचार्य रामदेवजी, गुरुकुल कांगड़ी

प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री, अद्वितीय वक्ता तथा विद्वान् आचार्य रामदेवजी का प्रवेश परोपकारिणी सभा में २७ अक्टूबर १९१६ को हुआ। रामदेवजी का जन्म ३१ जुलाई १८८१ को हुआ। एफ.ए. तक की शिक्षा डी.ए.वी. कॉलेज लाहौर में हुई। महात्मा मुन्शीराम के आप प्रमुख सहायक थे। प्रथम आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के मुखपत्र 'आर्य' पत्रिका के उप सम्पादक बने, पुन: जालंधर के विक्टर हाई स्कूल के मुख्याध्यापक नियुक्त हुये। जब महात्मा मुंशीराम ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की तो आचार्य रामदेव उनके मुख्य सहायक बन गये। कालान्तर में महात्मा मुंशीराम जब गुरुकुल के आचार्य पद से अवकाश ग्रहण कर देश के सार्वजनिक जीवन में अवतीर्ण हुए तो आचार्य रामदेव गुरुकुल के आचार्य और मुख्याधिष्ठाता बन गये। इस पद पर उन्होंने १९३२ तक कार्य किया। आचार्य रामदेवजी का सहयोग सभा को सर्वदा प्राप्त हुआ। विशेषत: साहित्यिक एवं शैक्षणिक प्रवृत्तियों के संचालन में आचार्यजी ने अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर सभा का मार्गदर्शन किया। आचार्य रामदेव एक सिद्धहस्त लेखक भी थे। वर्षों तक गुरुकुल की अंग्रेजी मुख पत्रिका The Vedic Magazine के वे सम्पादक भी रहे। आप महात्मा गाँधी द्वारा संचालित सत्याग्रह आन्दोलन में भी अवतीर्ण हुये तथा कारावास की यातनायें सहीं। ९ दिसम्बर १९३९ को कन्या गुरुकुल देहरादून में आपका स्वर्गवास हुआ।

३५- महाराजाधिराज साहू छत्रपति, कोल्हापुर नरेश

पंडित बंशीधर जी शर्मा के देहान्त के कारण जो स्थान रिक्त हुआ उस पर २९ दिसंबर १९१८ के १९वें अधिवेशन में कोल्हापुर नरेश साहू छत्रपति सभासद् बनाए गए। आप महर्षि के परम भक्त थे। मास्टर आत्माराम अमृतसरी की प्रेरणा से इन्होंने कोल्हापुर में आर्यसमाज तथा गुरुकुल की स्थापना की। दलित वर्ग के उत्थान के लिए महाराज साहू छत्रपति ने प्रबल प्रयत्न किए। ६ मई १९२२ को साहू छत्रपति का निधन हुआ। उनके निधन पर मद्रास के 'जस्टिस' नामक दैनिक पत्र ने लिखा- "He was a prince among men and a man among princes."

३६- महाराजाधिराज सर सयाजीराव गायकवाड़, बड़ौदा नरेश

१९२३ ई. में जोधपुर के कर्नल महाराज प्रतापसिंह जी के निधन के कारण हुए रिक्त स्थान पर बड़ौदा के सुधारप्रिय महाराजा सयाजीराव दिनांक ४ मार्च १९२३ के अधिवेशन में सभासद् चुने गए। महाराजा गायकवाड़ एक अत्यन्त उदार विचारों के लोकप्रिय शासक थे। उन्होंने अपने राज्य में हरिजनों के उत्थान तथा दलित वर्ग की शिक्षा के लिए प्रचुर प्रयास किया। सर सयाजीराव ने हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए भी प्रयत्न किया तथा विभिन्न समाज-सुधार के कार्यों में अग्रणी रहे। इन्हें सभा ने अपने प्रधान पद पर भी अभिषिक्त किया। सभा ने महाराजा गायकवाड़ को उनके दलितोद्धार विषयक विभिन्न आयोजनों के उपलक्ष्य में पतित-पावन की उपाधि प्रदान की।

३७- एच.एच. महाराजा सर राजाराम, कोल्हापुर

स्वर्गीय महाराजा साहू छत्रपति के निधन पर महाराजा राजाराम कोल्हापुर दिनांक ४ मार्च १९२३ के अधिवेशन में सभा के सदस्य बने। इनके नाम पर कोल्हापुर में राजाराम कॉलेज तथा हाई स्कूल की स्थापना हुई। पंडित गंगाप्रसाद उपाध्याय हाई स्कूल के मुख्याध्यापक तथा डॉ. बालकृष्ण कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। इनके राज्यकाल में कोल्हापुर राज्य में वैदिक धर्म का पर्याप्त प्रचार हुआ।

३८- पंडित भगवद्दत्त बी.ए., लाहौर

वैदिक वाङ्मय के अद्वितीय विद्वान् तथा आर्यसमाज के प्रतिभाशाली लेखक पंडित भगवद्दत्त जी ४ मार्च १९२३ को परोपकारिणी सभा के सभासद् बने। पंडित जी का जन्म २७ अक्टूबर १८९३ को अमृतसर में हुआ। उन्होंने शास्त्रों, पांडुलिपियों का संग्रह किया तथा वैदिक वाङ्मय का इतिहास (तीन भाग) जैसा उच्च कोटि का खोजपूर्ण ग्रंथ लिखा। २२ नवम्बर १९६८ को आपका निधन हुआ। पंडित भगवद्दत्त जी का सभा को साहित्यिक एवं गुणात्मक कार्यों में सदा सहयोग मिला। स्वामी जी के ग्रंथों के संशोधन एवं प्रकाशन के संबन्ध में वे अपने मूल्यवान विचार सभा को देते रहते थे। जब सभा द्वारा विद्वत् समिति का गठन किया गया तो पंडित जी उसके सभासद् बनाए गए। १९६६ के अधिवेशन में उपस्थित होकर उन्होंने सभा के समक्ष अनेक उपयोगी सुझाव रखे।

३९-स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी

१९२३ ई. में पं. रामभजदत्त चौधरी की मृत्यु के कारण जो स्थान रिक्त हुआ उसकी पूर्ति २७ दिसम्बर १९२३ के अधिवेशन में स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी की नियुक्ति के द्वारा हुई। स्वामी नित्यानन्द एवं स्वामी विश्वेश्वरानन्द ने चारों वेदों की अनुक्रमणिकायें तैयार कराने की महत्त्वपूर्ण योजना बनाई तथा बड़ौदा तथा अन्य देशी राज्यों के सहयोग से इस महत्त्वपूर्ण कार्य को पूरा किया। २३ नवम्बर १९२५ को स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी का निधन हुआ। उनकी स्मृति में विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान की स्थापना हुई। जिसका मुख्य कार्यालय होशियारपुर में है। यद्यपि स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी का सदस्यता काल स्वल्प ही रहा, परन्तु इस अल्प अवधि में होने वाले सभा के तीनों अधिवेशनों में उन्होंने भाग लिया।

४०-श्री घनश्यामदास बिड़ला

सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री घनश्यामदास बिड़ला स्वामी श्रद्धानन्द की निर्मम हत्या के कारण हुये रिक्त स्थान पर दिनांक १४ फरवरी १९२७ के अधिवेशन में सभासद् बनाये गये। अपने व्यावसायिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण श्री बिड़लाजी सभा के किसी भी अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो सके, फलत: उनके स्थान पर १९३० में डॉ. मानकरण शारदा को सभा का सदस्य चुन लिया गया।

४१-महात्मा नारायण स्वामी

लाला लाजपतराय के निधन के कारण हुये रिक्त स्थान पर आर्य जगत् के प्रख्यात संन्यासी, नेता तथा विद्वान् महात्मा नारायण स्वामी को दिनांक ३१ मार्च १९२९ के अधिवेशन में सभासद् निर्वाचित किया गया। नारायण स्वामीजी का जन्म

वसन्त पञ्चमी सं. १९२६ वि. को अलीगढ़ जिले के एक ग्राम में हुआ। आपने आर्य प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त के उपमन्त्री, मन्त्री आदि पदों पर कार्य किया। आप गुरुकुल वृन्दावन के आचार्य तथा मुख्याधिष्ठाता पद पर भी रहे। संन्यास की दीक्षा लेकर मुन्शी नारायण प्रसाद महात्मा नारायण स्वामी बने। सार्वदेशिक सभा के वर्षों मन्त्री तथा प्रधान रहे। १९३३ में परोपकारिणी सभा के द्वारा आयोजित महर्षि निर्वाण अर्द्धशताब्दी के विस्तृत कार्यक्रम का संचालन आपने अर्ध-शताब्दी समिति के कार्यकर्ता प्रधान के रूप में किया। १९३९ ई. में निजाम हैदराबाद की धार्मिक अत्याचारपूर्ण कार्यवाहियों के विरोध में आर्यसमाज को सत्याग्रह का आयोजन करना पड़ा तो इस धर्मयुद्ध का निर्भीकतापूर्वक संचालन महात्माजी ने प्रथम सर्वाधिकारी रूप में किया तथा कारावास में रहे। परोपकारिणी सभा के प्रवृत्तियों में आपका पूर्ण सहयोग रहा। १५ अक्टूबर १९४७ ई. को बरेली में आपका निधन हुआ।

४२-राज्यरत्न मास्टर आत्मारामजी अमृतसरी

श्री रणछोड़दास भवान की अनुपस्थिति के कारण उनके स्थान पर मास्टर आत्मारामजी को २८ दिसम्बर १९३० के अधिवेशन में सभा का सदस्य बनाया गया। मास्टरजी का जन्म आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा १९२६ वि. को अमृतसर में हुआ। आप अपने विद्यार्थी काल में पं. गुरुदत्त विद्यार्थी के सम्पर्क में आये और आर्यसमाज के रंग में रंग गये। प्रारम्भ में आप डी.ए.वी. हाईस्कूल लाहौर के सहायक अध्यापक पद पर रहे। महात्मा मुन्शीरामजी की प्रेरणा से आपने पं. लेखराम द्वारा संगृहीत और लिखित ऋषि दयानन्द की जीवनी को व्यवस्थित रूप प्रदान कर उसे १८९७ में ग्रन्थाकार प्रकाशित किया। संस्कार चन्द्रिका आपके द्वारा रचित एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो पं. भीमसेन शास्त्री आगरा के सहयोग से लिखी गई। रा. सा. रामविलास शारदा रचित 'आर्य धर्मेन्द्र जीवन' (महर्षि दयानन्द की हिन्दी जीवनी) की विद्वतापूर्ण भूमिका भी आपने लिखी। आपका निधन २५ जुलाई १९३८ को हुआ। आपके निधन के कारण आपके सुयोग्य पुत्र पं. आनन्दप्रियजी सभा के सदस्य बनाये गये।

४३-डॉ. मानकरणजी शारदा एम.बी.बी.एस.

डॉ. मानकरण शारदा को सभा के २८ दिसम्बर १९३० के अधिवेशन में सभासद् बनाया गया। यह स्थान सेठ घनश्यामदास बिड़ला के ३ अधिवेशनों में निरन्तर अनुपस्थित रहने के कारण रिक्त हुआ था। आपका जन्म मार्गशीर्ष कृ. ६ सं. १९४७ वि. (२२ नवम्बर १८९१ ई.) को हुआ। सभा के वयोवृद्ध मन्त्री दी. ब. हरविलास सारड़ा के त्याग पत्र देने पर आप २८ फरवरी १९५३ में मन्त्री चुने गये। १९६४ में आप सभा के उप प्रधान पद पर नियुक्त हुए। डॉ. मानकरणजी शारदा के मन्त्रित्व काल में सभा ने अभूतपूर्व उन्नति की। वैदिक यन्त्रालय का बहुमुखी विकास हुआ तथा सभा द्वारा ऋषि निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष ऋषि मेले का आयोजन किया जाने लगा। सभा के मुखपत्र परोपकारी का प्रकाशन भी लगभग अर्द्धशताब्दी पश्चात् १९५९ में पुन: मासिक रूप में होने लगा।

४४-रायसाहब मदनमोहन सेठ एम.ए. एल.एल.बी.

सेठजी का जन्म श्रावण शुक्ल १४ सं. १९४१ में बुलन्दशहर में हुआ। एम.ए. और एल.एल.बी. की परीक्षायें उत्तीर्ण कर आपने बुलन्दशहर में वकालत प्रारम्भ की। जब अंग्रेजी राजत्वकाल में आर्यसमाज को विद्रोहात्मक संस्था माना जाने लगा तथा उसके कार्यक्रम में बाधायें उपस्थित की जाने लगीं तो सेठजी ने Arya Samaj-A Political Body ? शीर्षक से एक खुला पत्र तत्कालीन गवर्नर संयुक्त प्रदेश लार्ड मौरले की सेवा में भेजा। कालान्तर में आप मुन्सिफ तथा न्यायाधीश जैसे पदों पर रहे। आर्य प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रदेश तथा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान पद पर भी आप रहे। आपका देहान्त १० मार्च १९५६ को हुआ। परोपकारिणी सभा में आपका प्रवेश दिनांक २८ दिसम्बर १९३० को श्री पुरुषोत्तमनारायणजी फर्रुखाबाद के लगातार तीन अधिवेशनों में अनुपस्थित रहने के कारण हुये रिक्त स्थान पर हुआ।

४५-देशभक्त कुँवर चाँदकरणजी शारदा

शारदाजी का सभा में प्रवेश २१ मार्च १९३२ को रा. सा. रामविलासजी के निधन के कारण हुये रिक्त स्थान पर हुआ

चांदकरण शारदा का जन्म आषाढ़ कृष्ण २ सं. १९४५ वि. हुआ। आप आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के वर्षों तक मन्त्री एवं प्रधान के पदों पर रहे। शुद्धि के कार्य में स्वामी श्रद्धानन्दजी को पूर्ण योग दिया तथा हैदराबाद आर्य सत्याग्रह एवं सिन्ध में सत्याग्रह के अग्रगण्य नेता रहे। १४ नवम्बर १९५७ ई. को शारदाजी का निधन हो गया। परोपकारिणी सभा की विभिन्न प्रवृत्तियों में शारदाजी का सर्वांगीण योगदान रहा। ऋषि निर्वाण अर्द्धशताब्दी के बृहत् आयोजन में आपने सर्वात्मना भाग लिया।

४६-राव साहब श्री विजयसिंह इस्तमरारदार, मसूदा

शाहपुराधीश श्री सर नाहरसिंहजी के निधन के कारण हुये रिक्त स्थान पर मसूदा के ठाकुर रा.सा. विजयसिंह दिनांक २० मार्च १९३३ के अधिवेशन में सभा के सभासद् बनाये गये। रा.सा. विजयसिंह स्वामी दयानन्द के परमभक्त मसूदा के राव साहब श्री बहादुरसिंहजी के पुत्र थे। आपकी सभा के किसी अधिवेशन में उपस्थिति अंकित नहीं है।

४७-पं. ब्रह्मदत्त जिज्ञासु

बैरिस्टर गौरीशंकरजी के निधन के कारण हुये रिक्त स्थान की पूर्ति पं. ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु को १४ नवम्बर १९३६ के अधिवेशन में सदस्य चुनकर की गई। पद वाक्य प्रमाणज्ञ, अपूर्व वैयाकरण तथा महाविद्वान् पं. ब्रह्मदत्त जिज्ञासु का जन्म १४ नवम्बर १८९३ को जालन्धर जिले के मल्लूपोता नामक ग्राम में हुआ। देश-विभाजन के पश्चात् आपने पाणिनि महाविद्यालय की स्थापना की। जिज्ञासुजी ने महर्षि दयानन्द रचित यजुर्वेद भाष्य के प्रथम १० अध्यायों पर विवरण लिखा जो श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट ने २००३ वि. में प्रकाशित किया। भारत के राष्ट्रपति ने जिज्ञासुजी को उनकी संस्कृत के प्रति की गई सेवाओं के कारण १९६३ ई. में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया। २१ दिसम्बर १९६४ को जिज्ञासुजी का वाराणसी में निधन हुआ। परोपकारिणी सभा के साहित्यिक कार्यों में जिज्ञासुजी का पूर्ण सहयोग रहा। आपने ऋषि के हस्तलेखों का सूक्ष्म अवलोकन एवं निरीक्षण कर उन्हें व्यवस्थित किया। पं. धर्मदेव निरुक्ताचार्य तथा पं. भद्रसेन को सभा की सेवा में रखकर महर्षि के ग्रन्थों के संशोधन एवं प्रकाशन में योग देने के लिये निर्देश दिया। वे सभा द्वारा गठित विद्वत् समिति के सभासद् भी रहे।

४८-पं. आनन्दप्रिय, बड़ौदा

पं. आनन्दप्रिय का सभा में प्रवेश दिनांक ३१ जुलाई १९३८ को पं. आत्मारामजी के निधन के कारण हुए रिक्त स्थान पर हुआ। मा. आत्मारामजी अमृतसरी के पुत्र पं. आनन्दप्रियजी का जन्म २८ मई १८९९ ई. में हुआ। आर्यकुमार महासभा बड़ौदा द्वारा संचालित आर्य कन्या महाविद्यालय बड़ौदा, गुरुकुल सोनगढ़ आदि के प्रबन्धक रहे। गुजरात आर्य प्रतिनिधि सभा के वह प्रधान रहे। सभा को पं. आनन्दप्रियजी का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ।

४९-राजा ज्वालाप्रसाद प्रो वाइस चान्सलर, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

राव विजयसिंहजी मसूदा के निधन के कारण हुये रिक्त स्थान पर राजा ज्वालाप्रसाद दिनांक १२ मार्च १९३९ के अधिवेशन में सभासद् बनाये गये। १९०७ में आप पटियाला राज्य में जन कार्य विभाग में इन्जीनियर पद पर नियुक्त हुये। पटियाला आर्यसमाज के आप प्रधान चुने गये। आर्यसमाज की प्रगतिशील एवं राष्ट्रहित की प्रवृत्तियों से रुष्ट होकर अंग्रेजी सरकार के इशारे पर ११ अक्टूबर १९०९ में आर्यसमाज पटियाला के प्रमुख पुरुषों पर राजद्रोह का अभियोग चलाया गया। आर्यसमाज के प्रधान होने के नाते श्री ज्वालाप्रसादजी भी गिरफ्तार कर लिये गये। महात्मा मुन्शीराम ने आर्यसमाजियों को निरपराध सिद्ध करने के लिये वकील का चोगा एक बार पुन: पहना। अन्तत: सरकार द्वारा लगाये अभियोग सिद्ध नहीं हो सके और आर्यसमाज के नेताओं को मुक्त कर दिया गया। काशी में डी.ए.वी. कॉलेज की स्थापना की। हिन्दू विश्वविद्यालय में आप पहले प्राध्यापक, पुन: प्रो वाइस चान्सलर पद पर रहे। आपका निधन १३ सितम्बर १९४४ को हुआ।

५०-राजाधिराज सुदर्शनदेवजी, शाहपुरा

रा.ब. मूलराज के तीन अधिवेशनों में निरन्तर अनुपस्थित रहने के कारण हुये रिक्त स्थान पर शाहपुरा के युवराज सुदर्शनदेवजी दिनांक ९ नवम्बर १९४२ के अधिवेशन में सभासद् बनाये गये। आपने ऋषि दयानन्द दीक्षा शताब्दी समारोह की मथुरा में अध्यक्षता की तथा अपने राजप्रसाद में प्रज्वलित यज्ञाग्नि को मथुरा के दीक्षा शताब्दी यज्ञ में स्थापित किया। श्री सुदर्शनदेवजी सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के सदस्य रहे। आपने कविरत्न प्रकाशचन्द्रजी के अभिनन्दन समारोह की अध्यक्षता की तथा आर्यसमाज के इस वयोवृद्ध कवि को ५०० रु. की आर्थिक सहायता प्रदान की। राजाधिराज सुदर्शनदेव का सभा को सर्वदा सहयोग मिलता रहा।

५१-महाशय कृष्ण

सर सयाजी राव गायकवाड़ के निधन के कारण सभा के सभापति पद पर राजाधिराज श्री उम्मेदसिंहजी शाहपुराधीश का निर्वाचन ९ नवम्बर १९४२ को हुआ। फलत: एक स्थान रिक्त हुआ। इस पर महाशय कृष्ण दिनांक ९ नवम्बर १९४२ को परोपकारिणी सभा के सभासद् निर्वाचित हुये। आर्यसमाज के अद्वितीय नेता, लेखक, पत्रकार तथा प्रबुद्ध विचारक महाशय कृष्ण का जन्म वजीराबाद (पश्चिमी पाकिस्तान) में १८८१ ई. में हुआ। १९०२ में आपने बी.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी समय आप आर्यसमाज में प्रविष्ट हुये तथा महात्मा मुन्शीरामजी के सहयोगी बनकर गुरुकुल विभाग के प्रमुख कार्यकर्त्ता बन गये। १९०९ ई. में आपने उर्दू साप्ताहिक 'प्रकाश' का प्रकाशन प्रारम्भ किया। आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के मन्त्री तथा प्रधान पद पर वर्षों रहे। 'वीर अर्जुन दैनिक' के माध्यम से महाशयजी राष्ट्रीय तथा आर्यसमाज विषयक समस्याओं पर अपनी लौह लेखनी द्वारा देश तथा आर्यजगत् का मार्गदर्शन करते रहे। १९५३ में सभा के तत्कालीन प्रधान राजाधिराज उम्मेदसिंहजी के त्यागपत्र देने पर महाशयजी प्रधान निर्वाचित हुये तथा जीवनपर्यन्त इस पद पर रहे। फाल्गुन अमावस्या २०१९ वि. (२४ फरवरी १९६३) को ८२ वर्ष की आयु में महाशयजी का स्वर्गवास हुआ।

५२-स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी

महात्मा नारायण स्वामीजी के निधन के कारण हुये रिक्त स्थान पर स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी को दिनांक ८ मार्च १९४८ के अधिवेशन में सभासद् चुना गया। स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी आर्यसमाज के तेजस्वी संन्यासी, नेता तथा विद्वान् थे। इनका जन्म पौष पूर्णिमा सं. १९३४ को लुधियाना के निकट मोही ग्राम में हुआ। वे जन्मना सिक्ख थे। आपका जन्म का नाम केहरसिंह था। पौष पूर्णिमा सं. १९५७ को २३ वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। आप उपदेशक विद्यालय लाहौर के आचार्य पद पर रहे। १९३९ में हैदराबाद आर्य सत्याग्रह का संचालन किया। स्वामीजी अब आर्यसमाज के सर्वोच्च नेता बन गये। १९५० में आपने पुन: मॉरिशस की यात्रा की तथा गोरक्षा आन्दोलन का संचालन किया। सभा ने महर्षि के ग्रन्थों के संशोधन विषयक जो कार्यक्रम बनाये गये उनमें स्वामीजी ने अपना अपेक्षित योगदान प्रदान किया। पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय ने संस्कार विधि के कतिपय स्थलों पर शंकायें व्यक्त कीं, उनका प्रमाणपुरस्सर समाधान स्वामी जी ने किया। ११ चैत्र सं. २०१२ वि. में आपका बम्बई में स्वर्गवास हो गया।

५३-सेठ श्री नानजी भाई कालिदास मेहता, पोरबन्दर

सभा के अधिवेशनों में सेठ नारायणलाल पित्ती की लगातार अनुपस्थिति के कारण उनका स्थान रिक्त किया गया तथा उनके स्थान पर सेठ नानजी को २६ फरवरी १९४९ की बैठक में सदस्य चुना गया। सुप्रसिद्ध उद्योगपति तथा दानी सेठ नानजी भाई कालिदास मेहता ने जहाँ अपने अद्वितीय पुरुषार्थ तथा व्यवसाय क्षमता से करोड़ों रुपये अर्जित किये वहाँ विभिन्न शिक्षण संस्थाओं तथा अन्य प्रवृत्तियों का प्रारम्भ कर अपनी दानशीलता का भी परिचय दिया। पोरबन्दर में महिला गुरुकुल तथा महात्मा गांधी कीर्ति भवन (जन्म स्थान) सेठजी की दान प्रवृत्ति के परिचायक हैं। टंकारा में महर्षि महालय को क्रय करने में भी मेहताजी का आर्थिक योगदान महत्त्वपूर्ण था। दिनांक २५ अगस्त १९६९ को ८५ वर्ष की आयु में सेठजी का निधन हो गया।

५४- श्री देशबन्धुजी गुप्त दिल्ली

लाला नारायणदत्तजी के निधन के कारण हुये रिक्त स्थान की पूर्ति श्री देशबन्धु गुप्त को ७ जनवरी १९५१ को सभासद् चुनकर की गई। आप सुप्रसिद्ध उर्दू साप्ताहिक 'तेज' के सम्पादक तथा दिल्ली कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे। आगरा में शुद्धि सभा के कार्य में स्वामी श्रद्धानन्द को पूर्ण योग दिया। हैदराबाद सत्याग्रह में आपकी कूटनीतिक चातुरी के कारण ही सत्याग्रह आन्दोलन को महात्मा गाँधी तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं का सहयोग तथा आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। १९५१ ई. में एक विमान दुर्घटना में गुप्त जी का निधन हो गया। आप सभा के एक ही अधिवेशन में उपस्थित हो सके।

५५-श्री घनश्यामसिंह गुप्त

मध्यप्रदेश धारा सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष, भूतपूर्व संसद् सदस्य तथा आर्यसमाज के विख्यात नेता श्री घनश्यामसिंह गुप्त दिनांक २४ फरवरी १९५२ के अधिवेशन में रा.ब. बद्रीदासजी के निरन्तर अनुपस्थित रहने के कारण हुये रिक्त स्थान पर सभासद् बनाये गये। गुप्तजी वर्षों तक सार्वदेशिक सभा के प्रधान रहे। १९३८-३९ में जब हैदराबाद में आर्यसमाज ने सत्याग्रह किया उस समय भी गुप्तजी की कूटनीतिज्ञता तथा नीति-निपुणता के कारण आर्यसमाज को विजयश्री प्राप्त हुई। १९५७ में पंजाब में चलाये गये हिन्दी रक्षा आन्दोलन में भी गुप्तजी ने आर्यसमाज का नेतृत्व किया था। श्री गुप्तजी सभा के तीन अधिवेशनों में निरन्तर उपस्थित नहीं हो सके अत: उनके स्थान पर दिनांक ३ दिसम्बर १९५५ को पं. गंगाप्रसाद जी उपाध्याय सदस्य चुन लिये गये।

५६-डॉ. मंगलदेव शास्त्री एम.ए. डी.लिट.

डॉ. मंगलदेव शास्त्री का निर्वाचन दिनांक २४ फरवरी १९५२ के अधिवेशन में डॉ. सर गोकुलचन्द नारंग की लगातार अनुपस्थिति के कारण हुये रिक्त स्थान पर हुआ। शास्त्रीजी ने बनारस संस्कृत कॉलेज के प्रिन्सिपल तथा वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद पर कार्य किया। परोपकारिणी सभा द्वारा स्थापित विद्वत् समिति के आप सम्मान्य सदस्य रहे। आपने सभा द्वारा प्रकाशित होने वाले महर्षि कृत ग्रन्थों के सुचारु रूप से सम्पादन एवं मुद्रण की आवश्यकता पर जोर दिया। ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का एक आलोचनात्मक संस्करण प्रकाशित करने का प्रस्ताव जब सभा ने स्वीकार किया तो उसको सम्पादित करने का कार्य भी शास्त्रीजी के ही सुपुर्द किया गया।

५७-सेठ प्रतापसिंह शूरजी वल्लभदास, बम्बई

झालावाड़ नरेश श्री हरिश्चन्द्रजी के अनुपस्थित रहने के कारण हुये रिक्त स्थान पर सुप्रसिद्ध आर्यश्रेष्ठी श्री शूरजी वल्लभदास के पुत्र सेठ प्रतापसिंह दिनांक २७ फरवरी १९५४ को सभा के सदस्य चुने गये। प्रताप भाई का जन्म ११ जुलाई १९१८ को हुआ। प्रताप भाई के पितामह ने कोई १४२ वर्ष पूर्व स्वामी दयानन्द का साक्षात्कार किया था, तभी से उनका परिवार वैदिक धर्म में दीक्षित हुआ। बाल्यकाल से ही उन्हें वैदिक संस्कारों में विकसित होने का अवसर प्राप्त हुआ। श्री प्रतापसिंह सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान रहे तथा आपने अगस्त १९७३ में मॉरिशस में आयोजित आर्य महासम्मेलन की अध्यक्षता की। प्रताप भाई १९७० में सभा के प्रधान निर्वाचित हुये, परन्तु कार्य व्यस्तता के कारण आपने एक वर्ष पश्चात् १९७१ में इस पद से त्यागपत्र दे दिया।

५८-महात्मा आनन्द स्वामी

सभा के अर्द्ध शताब्दी से भी अधिक समय तक मन्त्री पद को सुशोभित करने वाले दी. ब. हरविलासजी शारदा के निधन के कारण हुये रिक्त स्थान की पूर्ति सभा के सदस्यों ने ३ अप्रैल १९५५ के अधिवेशन में महात्मा आनन्द स्वामीजी को सदस्य चुनकर की। महात्मा आनन्द स्वामी का जन्म १५ अक्टूबर १८८३ को अविभाजित पंजाब के ग्राम जलालपुर जट्टाँ में हुआ था। वे १९०६ में आर्यसमाज के सभासद् बने। 'मिलाप' के सम्पादक के रूप में आपको पर्याप्त ख्याति मिली। हैदराबाद सत्याग्रह में भी सर्वाधिकारी के रूप में आपने भाग लिया तथा सत्यार्थप्रकाश के चतुदर्श समुल्लास पर लगाये गये प्रतिबन्ध को तोड़ने के लिये किये गये सिंध के आर्य सत्याग्रह में भी भाग लिया। महात्मा आनन्द स्वामी १९७१ में सभा के प्रधान पद पर नियुक्त हुए।

५९-प्रो. इन्द्र विद्यावाचस्पति

प्रो. घीसूलाल के २० अगस्त १९५५ को दिवंगत हो जाने के कारण हुये रिक्त स्थान की पूर्ति दिनांक ३ दिसम्बर १९५५ के असाधारण अधिवेशन में प्रसिद्ध साहित्यकार, पत्रकार तथा नेता प्रो. इन्द्रजी को चुनकर की गई। प्रो. इन्द्र स्वामी श्रद्धानन्दजी के कनिष्ठ पुत्र थे। ये वर्षों तक 'वीर अर्जुन' के सम्पादक रहे। गुरुकुल कांगड़ी के मुख्याधिष्ठाता तथा कुलपति पद पर रहकर इन्द्रजी ने अपने पिता द्वारा स्थापित इस अद्वितीय शिक्षण संस्थान का वर्षों तक संचालन किया। वे सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के मन्त्री तथा प्रधान पदों पर भी रहे। 'ऋषि दयानन्द का जीवन चरित' तथा 'आर्यसमाज का इतिहास (दो भाग)' उनकी उल्लेखनीय कृतियाँ हैं।

६०-स्वामी आत्मानन्द सरस्वती, यमुनानगर

प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् तथा आर्यसमाज के मूर्धन्य संन्यासी स्वामी आत्मानन्द सरस्वती दिनांक ३ दिसम्बर १९५५ को सभा के असाधारण अधिवेशन में सेठ नानजी भाई कालिदास मेहता के निरन्तर अनुपस्थित रहने के कारण हुये रिक्त पद पर सदस्य चुने गये। स्वामी आत्मानन्दजी (पूर्वनाम मुक्तिराम उपाध्याय) गुरुकुल पोठोहार (रावलपिण्डी) के संस्थापक तथा आचार्य थे। पंजाब के हिन्दी रक्षा आन्दोलन में आर्य जनता का नेतृत्व किया। मनोविज्ञान और शिव संकल्प, वैदिक गीता आदि आपकी उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। १९५५ में वे आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के अध्यक्ष चुने गये। सिक्ख राजनीति के प्रबल हो जाने के कारण पंजाबी के समक्ष हिन्दी का स्थान नीचा माना जाने लगा। तब स्वामी आत्मानन्दजी सर्वात्मना इस संघर्ष में कूद पड़े और उन्होंने इस आन्दोलन में आर्यसमाज को नेतृत्व प्रदान किया।

६१-पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय, प्रयागराज

आर्यसमाज के प्रख्यात लेखक, साहित्यकार तथा दार्शनिक विद्वान् पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय दिनांक ३ दिसम्बर १९५५ के असाधारण अधिवेशन में श्री घनश्यामसिंह गुप्त के निरन्तर अनुपस्थित रहने के कारण हुये रिक्त स्थान पर चुने गये। उपाध्यायजी ने आस्तिकवाद, अद्वैतवाद, जीवात्मा, शांकर भाष्यालोचन आदि उत्कृष्ट ग्रन्थ लिखकर दार्शनिक लेखन में एक नूतन मानदण्ड स्थापित किया था। उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ 'आस्तिकवाद' पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने मंगलाप्रसाद पुरस्कार प्रदान किया था। यद्यपि उपाध्यायजी को सभा ने अपना सदस्य निर्वाचित किया, परन्तु उन्होंने थोड़े समय पश्चात् ही अपना त्यागपत्र प्रेषित कर दिया, फलतः २२ अप्रैल १९५६ के अधिवेशन में उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया।

६२-श्री श्रीकरण शारदा, अजमेर

पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय के त्यागपत्र देने से हुये रिक्त स्थान पर दिनांक २२ अप्रैल १९५६ के साधारण अधिवेशन में श्री श्रीकरणजी शारदा को सदस्य निर्वाचित किया गया। इसी अधिवेशन में इन्हें पुस्तकाध्यक्ष पद भी दिया गया। इनका जन्म १४ जून १९१९ को बड़ौदा में हुआ। १९४२ में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में भाग लेने के कारण इन्हें आगरा कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था। आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के मन्त्री तथा उपप्रधान एवं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के उपप्रधान रहे। १९५८ में आप सभा के संयुक्त मन्त्री पद पर निर्वाचित हुये। साथ ही आपने पुस्तकाध्यक्ष पद कार्य भी सम्भाला। १९६४ में आप मन्त्री पद पर निर्वाचित हुये तथा २२ वर्ष (जीवनपर्यन्त) मन्त्री रहे।

६३- आचार्य उदयवीर शास्त्री विद्याभास्कर, गाज़ियाबाद

पं. ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु के निधन के कारण हुये रिक्त स्थान पर दर्शनों के महान् विद्वान् पं. उदयवीर जी शास्त्री को दिनांक ३ अक्टूबर १९६५ के अधिवेशन में सभासद् चुना गया। पं. उदयवीर शास्त्री का जन्म पौष शुक्ल १० सं. १९५१ तदनुसार ६ जनवरी १८९५ ई. को ग्राम बनैल (जिला बुलन्दशहर) में हुआ। न्याय, सांख्य-योगतीर्थ तथा वेदान्ताचार्य की परीक्षायें आपने क्रमशः कलकत्ता तथा काशी से उत्तीर्ण कीं। सभा की विद्वत् समिति के आप सभासद् रहे।

उन्होंने सांख्य, वेदान्त तथा वैशेषिक दर्शनों पर विद्योदय भाष्य लिखे तथा सांख्य दर्शन का इतिहास, वेदान्त दर्शन

का इतिहास, सांख्य सिद्धान्त आदि अन्य शोधपूर्ण ग्रन्थों की रचना की। उन्हें 'सांख्य दर्शन के इतिहास' पर सेठ हरजीमल डालमिया पुरस्कार एवं साहित्यिक जगत् का प्रतिष्ठित 'मंगला प्रसाद पारितोषिक' प्राप्त हुआ।

६४-प्रो. शेरसिंहजी, हरियाणा

हरियाणा के सुप्रसिद्ध आर्य नेता प्रो. शेरसिंह को दिनांक १६ नवम्बर १९६९ के अधिवेशन में पं. भगवद्दत्त जी के निधन के कारण हुये रिक्त स्थान पर सभा ने अपना सभासद् बनाया। केन्द्रीय सरकार में संचार राज्य मन्त्री के पद पर रहते हुये प्रोफेसर साहब ने दण्डी गुरु विरजानन्द तथा स्वामी श्रद्धानन्द के डाक टिकट प्रकाशित कराने की व्यवस्था की। प्रो. शेरसिंह का जन्म १८ सितम्बर १९१७ को हरियाणा राज्य के ग्राम बाघपुर में हुआ। १९४६ से १९६७ तक आप पंजाब विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होते रहे। पंजाब सरकार में संसदीय सचिव तथा सिंचाई एवं बिजली मन्त्री भी रहे। प्रो. शेरसिंह जी ने अपने शिक्षा राज्य मन्त्री के कार्यकाल में सभा को स्वामी दयानन्द के हस्तलेखों की माइक्रोफिल्मिंग कराने का परामर्श दिया तथा राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा इस कार्य की सुचारु रूप से व्यवस्था की।

६५-डॉ. भवानीलाल भारतीय

बैरिस्टर चरणदासजी पुरी के निधन के कारण हुये रिक्त स्थान पर सभा ने अपने ८ नवम्बर १९७० के अधिवेशन में डॉ. भवानीलाल भारतीय को सदस्य निर्वाचित किया। डॉ. भारतीय का जन्म आषाढ़ कृष्ण ३ सं. १९८५ वि. को नागौर जिलान्तर्गत परबतसर ग्राम में हुआ। वे केन्द्रीय आर्य समिति जोधपुर के मन्त्री तथा आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के मन्त्री (१९६९-७२) तथा उपप्रधान (१९७२-७३) रहे। डॉ. भारतीय १९७० में सभा के संयुक्त मन्त्री पद पर नियुक्त हुए। पं. भगवानस्वरूपजी न्यायभूषण के निधन के पश्चात् उन्होंने सभा के मुखपत्र परोपकारी के प्रबन्ध सम्पादक का भी कार्य किया।

६६- स्वामी सर्वानन्द सरस्वती

सभा के साधारण अधिवेशन संख्या ९१ दिनांक १ नवम्बर १९८७ को तपस्वी संन्यासी स्वामी सर्वानन्द जी को सभासद् चुना गया। तत्पश्चात् दिनांक ३१ दिसम्बर १९८८ के १५६वें कार्यकारिणी अधिवेशन में स्वामी जी को प्रधान चुना गया। स्वामी जी अत्यन्त उदार हृदय के साधु थे। समाज के प्रत्येक वर्ग के लिये आपके मन में करुणा थी। जब भी किसी दीन-दरिद्र या नि:सहाय व्यक्ति को देखते तो तुरन्त उसकी सहायता के लिये तत्पर हो जाते। आपने स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी द्वारा स्थापित दयानन्द मठ दीनानगर का कुशल संचालन किया। सन् २००४ में लगभग १०४ वर्ष की आयु में आपका देहान्त हो गया।

६७- स्वामी ओमानन्द सरस्वती

८२वें साधारण अधिवेशन दिनांक ६ नवम्बर १९७७ ई. को स्वामी ओमानन्द सरस्वती को सभा सदस्य पद के लिए निर्वाचित किया गया। दो वर्ष बाद सन् १९७९ में चौधरी चरणसिंह के प्रधान पद से हटने पर स्वामी जी को प्रधान नियुक्त किया गया। हरियाणा के घर-घर में आर्यसमाज को पहुँचाने का श्रेय आपको ही जाता है। आपने गुरुकुल झज्जर जैसी संस्था की स्थापना करके अनेक विद्वानों का निर्माण किया। हैदराबाद सत्याग्रह, पंजाब के हिन्दी आन्दोलन और गोरक्षा आदि आन्दोलनों में आपकी सक्रिय भूमिका रही। आपका जन्म २२ मार्च १९११ ई. को हुआ। २३ मार्च २००३ को आपने नश्वर देह त्याग दी।

६८- चौधरी चरणसिंह, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री-भारत सरकार

महात्मा आनन्द स्वामी के निधन के उपरान्त प्रधान पद रिक्त होने पर दिनांक ६ नवम्बर १९७७ ईस्वी के ८२वें अधिवेशन में चौधरी चरणसिंह जी को प्रधान पद के लिए चुना गया, लेकिन चौधरी जी किसी भी अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो पाए। सन् १९७९ तक प्रधान एवं सन् १९८० तक सभासद् रहे। चौधरी जी ने भारत सरकार में प्रधानमन्त्री, केन्द्रीय गृहमन्त्री, उत्तरप्रदेश के मुख्यमन्त्री आदि पदों पर रहकर देश की सेवा की। अपनी सत्यनिष्ठा, कठोर

निर्णय की क्षमता, सरलता के कारण आपने राजनीति में आदर्श मानदण्ड स्थापित किये। उनके कार्यालय में सदैव महर्षि दयानन्द का चित्र रहता था।

६९- स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती

पंडित गंगाप्रसाद उपाध्याय जी के योग्य सुपुत्र वैज्ञानिक स्वामी सत्यप्रकाश जी को दिनांक ३१ अक्टूबर १९७६ ई. को ८१वें साधारण अधिवेशन में सभा के सदस्य पद हेतु प्रस्तावित किया गया। इस प्रस्ताव की अगले अधिवेशन दिनांक ६ नवम्बर १९७७ ई. को संस्तुति की गई। वर्ष १९८५ ई. में अन्तरंग समिति में लिया गया। आप जर्मनी में हुई 'विश्व विज्ञान परिषद्' (वर्ल्ड साइंस कॉन्फ्रेंस) के अध्यक्ष चुने गये, परन्तु सदैव निरभिमानी, सरल व सादगीपूर्व जीवन जीया। वैदिक सिद्धान्तों पर आपने पर्याप्त साहित्य का सृजन किया। आपने चारों वेदों का अंग्रेजी भाषा में भाष्य किया तथा अनेकों विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ- हिन्दी तथा अंग्रेजी में लिखकर समाज का उपकार किया। १८ जनवरी १९९५ को ९० वर्ष की आयु में आपका निधन हुआ।

७०- श्री गजानन्द आर्य

कोलकाता के उद्यमी एवं निष्ठावान् वैदिकधर्मी श्री गजानन्द आर्य को ८९वें साधारण अधिवेशन में दिनांक १७ नवम्बर १९८५ में सदस्य निर्वाचित किया गया। अगले वर्ष ९ नवम्बर १९८६ के ९०वें साधारण अधिवेशन में आपको मन्त्री पद के लिए चुना गया। २००३ में आप प्रधान पद पर प्रतिष्ठित हुए। २०१५ तक प्रधान पद पर कार्य करते हुए वर्तमान में आप सभा के सम्मानित संरक्षक के रूप में अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आपके कार्यकाल में परोपकारिणी सभा ने कई प्रकल्पों के साथ नए कीर्तिमान स्थापित किए। आप उदारमना, दानशील व्यक्तित्व के धनी हैं। आपने 'आर्यसमाज की मान्यताएँ' एवं 'वीरांगना कैकेयी' आदि पुस्तकों की रचना भी की।

७१- डॉ. धर्मवीर

परोपकारिणी सभा में एक नए युग का आरम्भ हुआ, जब सन् १९८५ में डॉक्टर धर्मवीर को परोपकारिणी सभा का सदस्य चुना गया। सदस्यता के साथ-साथ उन्हें पुस्तकाध्यक्ष का कार्यभार भी सौंपा गया। अगले वर्ष के अधिवेशन में दिनांक ९ नवम्बर १९८६ को स्वामी ओमानन्द जी के पत्र में सभासदों को यह सुझाव था कि वह डॉ. धर्मवीर को कार्यकारी मन्त्री चुनें। अत: उस अधिवेशन में आपको कार्यकारी मन्त्री चुना गया। इसी प्रकार सन् २००० के १०४वें अधिवेशन में मन्त्री, २०१२ में कार्यकारी प्रधान और फिर २०१५ में प्रधान पद के लिए निर्वाचित हुए। ६ अक्टूबर २०१६ को अपनी इहलोक की लीला को समाप्त कर परलोकवासी हो गए। डॉ. धर्मवीर ३१ वर्षों तक (मृत्युपर्यन्त) सभा से जुड़े रहे। ये इकत्तीस वर्ष परोपकारिणी सभा का स्वर्णिम इतिहास है। आपसी झगड़े के कारण जब कोई सदस्य समाज या संस्था को छोड़ने की बात करता तो वह कहते- तुम तो जा सकते हो, पर मैं संस्था छोड़कर कहाँ जाऊँ, जहाँ भी जाऊँगा यह मेरे साथ ही रहेगी, क्योंकि संस्था मैं ही तो हूँ। विद्यार्थीकाल में अध्यापक ने कक्षा के सब बच्चों से कहा कि किसी ऐसी घटना को याद करो, जिससे तुम्हें रोना आ जाए, तब बालक धर्मवीर ने दयानन्द को याद किया।

महर्षि ने अपनी वसीयत (स्वीकारपत्र) में सभा को अपने सर्वस्व का अधिकार दिया है, उस सर्वस्व को अपना सर्वस्व समझने वाले डॉ. धर्मवीर को इस विवरण में श्रद्धाञ्जलि ना दी जाये तो कृतघ्नता होगी। स्वामी श्रद्धानन्द ने जब गुरुकुल खोला तो अपना सर्वस्व उसे सौंप दिया, मगर धर्मवीर ने सभा को अपना सर्वस्व बना लिया। लगभग ९ वर्ष पहले पं. सत्यानन्द 'वेदवागीश' अध्यापन के लिये ऋषि उद्यान आये तो उन्होंने सभा की उन्नति को देखकर दो श्लोक लिखकर विद्यार्थियों को सुनाए-

धर्मवीरः स्थितप्रज्ञः सभा परोपकारिणी। उभावेवौ नु वर्तेते मिथः पर्यायवाचिनौ।।१।।

ऋष्युद्यानं कृतं येन भव्यरूपं हितान्वयी। जयत्यसौ सभामन्त्री धर्मवीराभिधो दृढः।।२।।

परोपकारिणी सभा उनका धन्यवाद करे- ये धर्मवीर की भावनाओं के विपरीत होगा, आखिर कोई खुद से धन्यवाद कैसे ले सकता है?

परोपकारिणी सभा की प्रारम्भिक गतिविधियाँ

ऋषि उद्यान

अपने संस्थापक की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिये परोपकारिणी सभा के प्रथम अधिवेशन में रा. ब. पं. महादेव गोविन्द रानाडे ने एक प्रस्ताव उपस्थित किया। इसमें कहा गया था कि स्वामी जी महाराज के नाम पर दयानन्दाश्रम बनाया जाय, जिसमें पुस्तकालय, अंग्रेजी वैदिक पाठशाला, विक्रयार्थ पुस्तकों का भण्डार, अनाथाश्रम, अद्‌भुत वस्तु-संग्रहालय, यन्त्रालय और व्याख्यान गृह रहें।

स्वामी जी के निधन के उपरान्त शाहपुरा नरेश ने आनासागर तट पर स्थित अपना उद्यान सभा को प्रदान किया था। आश्रम का उद्‌घाटन तथा शिलान्यास समारोह सभा के तृतीय अधिवेशन के अवसर पर २९ दिसम्बर १८८७ ई. के दिन आनासागर तट स्थित शाहपुरा के उद्यान में सभामन्त्री पं. मोहनलाल वि. पण्ड्याजी के करकमलों से सम्पन्न हुआ। राजाधिराज शाहपुरा ने उद्यान को सभा को अर्पित करते हुये एक ताम्रपत्र प्रदान किया जिसे सभा के कार्यालय में रखा गया। दयानन्द आश्रम की नींव में स्वामी दयानन्द की अस्थि एवं भस्म भूमिस्थ की गई। इस अवसर पर पं. गुरुदत्त विद्यार्थी ने वेदपाठ किया। लाला लाजपतराय, पं. श्यामजी कृष्ण वर्मा, राव बहादुरसिंह मसूदा तथा कविराजा श्यामलदास जी ने व्याख्यान दिये। आज यह स्थान ऋषि-उद्यान के नाम से सुविख्यात है। परोपकारिणी सभा के अधिकांश आयोजन यहीं पर होते हैं। यह स्थान आवास एवं भोजन आदि की समस्त सुविधाओं से युक्त आर्यसमाज के कार्यकर्त्ता, उपदेशकों एवं साधुओं के लिये सदैव खुला रहता है।

दयानन्द आश्रम (सभा का वर्तमान कार्यालय)

प्रथम तो यह निश्चय हुआ कि उक्त उद्यान में ही आश्रमान्तर्गत समस्त प्रवृत्तियाँ संचालित हों, परन्तु यह देखकर कि बाग नगर से पर्याप्त दूर है, यह विचार हुआ कि नगर में ही किसी उपयुक्त स्थान पर दयानन्द आश्रम की स्थापना की जाये। कालान्तर में दयानन्द आश्रम की सुविशाल एवं भव्य इमारत केसरगंज में निर्मित हुई, जहाँ पर वर्तमान में परोपकारिणी सभा का कार्यालय, पुस्तकालय एवं पुस्तक-बिक्री विभाग है। केसरगंज चक्कर में भूमि के ५ टुकड़े (३९३० गज) आठ आना प्रति गज के हिसाब से १९६५ रुपये में क्रय किये तथा इस स्थान पर दयानन्द आश्रम के भवनों का निर्माण आरम्भ हुआ। वर्तमान में परोपकारिणी सभा का कार्यालय इसी भवन में है। महर्षि दयानन्द पुस्तकालय, वैदिक पुस्तकालय (बिक्री विभाग) एवं परोपकारी पत्रिका आदि का कार्य भी यहीं से संचालित किया जाता है।

वैदिक पाठशाला

दयानन्द आश्रम के भवन का निर्माण सम्पन्न हो जाने के पश्चात् उसके अन्तर्गत विभिन्न प्रवृत्तियाँ प्रचालित की गईं। प्राचीन और अर्वाचीन शिक्षा-पद्धति के समन्वय से युक्त वैदिक पाठशाला की स्थापना भी परोपकारिणी सभा का लक्ष्य था। आर्यसमाज अजमेर ने इस प्रकार की एक पाठशाला की स्थापना कर दी थी। अत: परोपकारिणी सभा ने इसी विद्यालय को अपना लिया तथा उसके प्रबन्ध का भार आर्यसमाज अजमेर पर ही छोड़ दिया। पाठशाला के संचालनार्थ सभा मासिक आर्थिक सहायता भी देती थी तथा इसका पाठ्यक्रम डी.ए.वी. कॉलेज लाहौर की प्रणाली पर आधारित था। यही पाठशाला कालान्तर में सभा के प्रबन्ध से पृथक् होकर डी.ए.वी. हाई स्कूल तथा दयानन्द कॉलेज का रूप धारण कर सकी, परन्तु इसका प्रारम्भिक नाम दयानन्द ऐंग्लो वैदिक स्कूल न होकर 'दयानन्द आश्रम ऐंग्लो वैदिक स्कूल' (D.A.A.V. स्कूल) था। कालान्तर में पाठशाला की व्यवस्था और प्रबन्ध को लेकर सभा तथा आर्यसमाज अजमेर में मतभेद भी उत्पन्न हुये। जब सभा ने विद्यालय का विवरण माँगा तो आर्यसमाज ने यह कहकर देने से इन्कार कर दिया कि विद्यालय पर आर्यसमाज का एकमेव स्वत्व है। इतना तो समाज के प्रतिनिधि भी मानते रहे कि विद्यालय का नाम D.A.A.V. स्कूल ही रहेगा।

अनाथालय

सभा के मूल उद्देश्यों में अनाथ-संरक्षण का भी एक महत्त्वपूर्ण दायित्व सन्निविष्ट था। फलत: अनाथालय की स्थापना का प्रश्न भी सभा के समक्ष आया। उस समय

आर्यसमाज अजमेर और परोपकारिणी सभा की कार्य-प्रवृत्तियों में सम्पूर्ण तालमेल तथा सामंजस्य था। अत: सभा ने उक्त समाज को ही अनाथालय की स्थापना का आदेश दिया। सभा अनाथालय की मासिक आर्थिक सहायता के लिये प्रतिश्रुत हुई और आर्य अनाथालय फिरोजपुर के आदर्श पर अनाथालय के संचालन का आदेश उक्त समाज को दिया।

वैदिक यन्त्रालय

स्वामी दयानन्द के वेदभाष्य तथा अन्य ग्रन्थों के लेखन का कार्य द्रुतगति से बढ़ने लगा। स्वामीजी एक स्वकीय प्रकाशन संस्थान खोलने की आवश्यकता अनुभव करने लगे। अन्तत: उन्होंने वेदभाष्य मुद्रण तथा अन्य शास्त्र ग्रन्थों के प्रकाशन हेतु वैदिक यन्त्रालय की स्थापना का निश्चय किया। मेरठ तथा फर्रुखाबाद की आर्यसमाजों ने यन्त्रालय स्थापित करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की। राजा जयकृष्णदास ने भी धन से सहायता दी।

अन्तत: माघ शुक्ल २, सं. १९३६ वि. गुरुवार अर्थात् १२ फरवरी १८८० ई. को काशी के लक्ष्मीकुण्ड स्थित महाराज विजयनगराधिपति के स्थान पर वैदिक यन्त्रालय की स्थापना हुई। प्रारम्भ में इसका नाम आर्य प्रकाश यन्त्रालय रखा गया था, बाद में वैदिक यन्त्रालय कर दिया गया। निवृत्तिमार्गी दयानन्द ने यन्त्रालय की स्थापना पर अपनी मनोवेदना को इस प्रकार व्यक्त किया- ''आज हम पतित हो गये, आज हम गृहस्थ हो गये।''

श्रीमद्दयानन्द वैदिक पुस्तकालय

दयानन्द आश्रम की योजना में एक बृहत् पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान रखा गया था। तदनुसार सभा ने अपने १८९० के अधिवेशन में निश्चय किया कि पुस्तकालय की स्थापना अविलम्ब कर दी जाये। स्वामी दयानन्द का निजी पुस्तक-संग्रह बहुत विशाल था, जिसे उनके निधन के पश्चात् सभा के उपमन्त्री पण्ड्या जी उदयपुर ले गये थे। कुछ पुस्तकें जो वैदिक यन्त्रालय के उपयोग की थीं, प्रयाग भेज दी गईं। जब दयानन्द आश्रम के भवन बन गये तो पुस्तकें पुन: अजमेर ले आईं गईं और २९ दिसम्बर १८९० को विधिवत् पुस्तकालय की स्थापना हुई। धीरे-धीरे पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ने लगी। मुन्शी समर्थदान, पं. मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या आदि ने स्वरचित ग्रन्थ सभा को पुस्तकालय हेतु भेंट किये। प्रतिवर्ष पुस्तकालय में ग्रन्थों की वृद्धि होती रही। इस समय पुस्तकालय में लगभग ४० हजार पुस्तकें हैं। सभी पुस्तकों का विवरण कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। शोधार्थी छात्र, गवेषकों को इस पुस्तकालय का निरन्तर लाभ मिल रहा है।

वैदिक पुस्तकालय (ग्रन्थ-विक्रय विभाग)

प्रारम्भ में पुस्तक-विक्रय विभाग भी यन्त्रालय के अन्तर्गत ही था, परन्तु १८९० के अधिवेशन में प्रस्ताव संख्या ८ के द्वारा वैदिक पुस्तकालय (बिक्री विभाग) की पृथक् स्थापना की गई। १९०७ के अधिवेशन में वैदिक पुस्तकालय की व्यवस्था एवं संचालन के लिये विस्तृत नियम बनाये गये जिनके अनुसार इस विभाग की सफलतापूर्वक प्रगति होती रही। परोपकारिणी सभा का यह प्रकाशन विभाग महर्षि दयानन्द एवं अन्य विद्वानों के साहित्य के प्रकाशन में आज निरन्तर प्रगति कर रहा है।

परोपकारी-सभा का मुख पत्र

सभा के द्वितीय अधिवेशन में उपमन्त्री पं. मोहनलाल वि. पण्ड्या ने एतद्विषयक प्रस्ताव उपस्थित किया, जिस पर निश्चय हुआ कि 'परोपकारी' नामक एक षाण्मासिक पुस्तक हिन्दी भाषा में सम्पादन होकर प्रकाशित हुआ करे और उसमें ६ महीनों के व्यवहारों के समाचार मुद्रित हुआ करें। यह कार्य पं. मोहनलाल पण्ड्या के आधीन हो।

इसी निश्चय के अनुसार परोपकारी का प्रथम अंक कार्तिक शुक्ल १ सं. १९४६ वि. (१८८९ ई.) में प्रकाशित हुआ। इसका वार्षिक मूल्य १।) रुपये निर्धारित किया गया।

इस षट्मासिक पत्र का द्वितीय अंक भी प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात् यह प्रकाशित नहीं हुआ।

१९०६ ई. के अधिवेशन में परोपकारी पत्र को मासिक के रूप में पुन: प्रकाशित करने का निश्चय किया गया। लाला मुन्शीराम जी ने एतद्विषयक योजना प्रस्तुत करते हुये कहा कि 'सरस्वती के आकार पर टाइटल पेज सहित ३६ पृष्ठों का एक मासिक पत्र निकाला जावे'। प्रथम वर्ष में इसके सम्पादन का कार्य श्री भक्तराम उपमन्त्री सभा ने

किया। द्वितीय वर्ष के प्रथम अंक से परोपकारी का सम्पादन कार्य हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकार एवं पत्रकार पं. पद्मसिंह शर्मा ने स्वीकार किया। शर्माजी के सम्पादन-काल में पत्र की अभूतपूर्व उन्नति हुई। शर्माजी के सम्पादन में इस पत्र के ८ अंक ही निकल सके। सम्पादन कार्य पुन: वैदिक यन्त्रालय के प्रबन्धकर्त्ता श्री भक्तराम के पास आया। तीसरे वर्ष के छठे अंक के साथ ही परोपकारी की यह द्वितीय जीवन-यात्रा भी समाप्त हो गई। सभा ने नवम्बर १९०९ के अधिवेशन में पत्र को बन्द करने का निश्चय किया। लगभग अर्द्ध शताब्दी पश्चात् सभा ने अपने मासिक पत्र को पुनर्जीवित करने का निश्चय किया। तदनुसार नवम्बर १९५९ (कार्तिक २०१६ वि.) से परोपकारी तृतीय बार प्रकाशित हुआ। इस बार इसके सम्पादन का भार सभा के तत्कालीन मन्त्री डॉ. मानकरण शारदा तथा तत्कालीन संयुक्त मन्त्री श्री श्रीकरण शारदा ने ग्रहण किया। वैदिक यन्त्रालय के प्रबन्धकर्त्ता पं. भगवानस्वरूप न्यायभूषण ने प्रबन्ध सम्पादक के रूप में पत्र की व्यवस्था अंगीकार की। तब से यह पत्र निर्विघ्न रूप से गत ५९ वर्षों से प्रकाशित हो रहा है। दिसम्बर १९७३ में पं. भगवानस्वरूप न्यायभूषण के निधन के पश्चात् प्रबन्ध सम्पादन का कार्य डॉ. भवानीलाल भारतीय ने किया। उनके बाद लगभग १९८३ ई. में डॉ. धर्मवीर ने पत्रिका का संपादन कार्य सम्भाला। दयानन्द बलिदान शताब्दी के कुछ समय तक उन्होंने परोपकारी को 'साप्ताहिक' निकाला। डॉ. धर्मवीर ने लगभग ३३ वर्षों तक सम्पादक पद पर कार्य करके परोपकारी को आर्यजगत् की सर्वाधिक ग्राहक संख्या वाली (१४०००) सर्वोच्च पत्रिका बना दिया। २०१६ में उनके निधन के उपरान्त सभा के संयुक्त मन्त्री डॉ. दिनेशचन्द्र शर्मा २ वर्षों तक सम्पादक पद पर रहे। दिसम्बर २०१८ से सभा के संरक्षक डॉ. सुरेन्द्र कुमार वर्तमान में सम्पादक हैं।

परोपकारिणी सभा के प्रधान
(प्रारम्भ से अब तक)

नाम	कार्यकाल
१. महाराणा सज्जनसिंह (उदयपुराधीश)	१८८३-१८८४
२. श्री नाहर सिंह वर्मा (शाहपुराधीश)	१८९३-१९०६
३. सर प्रतापसिंह (कर्नल महाराजा जोधपुर)	१९०६-१९२३
४. सर सयाजीराव गायकवाड़ (बड़ौदा नरेश)	१९२४-१९३८
५. श्री उम्मेद सिंह (शाहपुराधीश)	१९४१-१९५३
६. महाशय कृष्ण	१९५३-१९६३
७. लाला हंसराज गुप्त	१९६३-१९७०
८. श्री सेठ प्रताप सिंह शूरजी वल्लभदास, बम्बई	१९७०-१९७१
९. महात्मा आनन्द स्वामी	१९७१-१९७७
१०. चौधरी चरणसिंह	१९७७-१९७९
११. स्वामी ओमानन्द सरस्वती	१९७९-१९८८
१२. स्वामी सर्वानन्द सरस्वती	१९८८-२०००
१३. श्री गजानन्द आर्य	२०००-२०१५
१४. डॉ. धर्मवीर	२०१५-२०१६
१५. डॉ. वेदपाल	२०१८ से वर्तमान

परोपकारिणी सभा के मन्त्री
(प्रारम्भ से अब तक)

प्रथम (वरिष्ठ)		*द्वितीय*	
नाम	**कार्यकाल**	**नाम**	**कार्यकाल**
१. कविराज श्यामलदास, उदयपुर	१८८३-१८८५	१. लाला रामशरणदास, मेरठ	१८८३-१८८३
२. पं. मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या	१८८५-अज्ञात	२. पं. गोपालराव हरि देशमुख	१८८३-१८९२
३. श्री नाहरसिंह वर्मा (शाहपुराधीश)	१९०६-१९३२	३. दी.ब. हरबिलास शारदा	१८९३-१९३३

नोट- महर्षि ने अपने स्वीकार-पत्र में दो मन्त्री पद बनाये थे, जो कि १९३३ तक चलते रहे। उसके पश्चात् एक ही मन्त्री पद रहा।

४. दीवान बहादुर हरबिलास शारदा	१९३३-१९५३
५. डॉ. मानकरण शारदा	१९५३-१९६४
६. श्री श्रीकरण शारदा	१९६४-१९८६
७. श्री गजानन्द आर्य	१९८६-२०००
८. डॉ. धर्मवीर	२०००-२०१२
९. श्री ओम मुनि	२०१२-२०१८
१०. श्री कन्हैयालाल आर्य	२०१८ से वर्तमान

परोपकारिणी सभा के सभासद्
(प्रारम्भ से अब तक)

नाम	नियुक्ति तिथि
०१. महाराणा सज्जनसिंह, उदयपुर -	२७.०२.१८८३
०२. लाला मूलराज एम.ए., लाहौर -	२७.०२.१८८३
०३. कविराज श्यामलदास, उदयपुर	२७.०२.१८८३
०४. लाला रामशरण दास, मेरठ -	२७.०२.१८८३
०५. पं. मोहनलाल वि. पण्ड्या, उदयपुर	२७.०२.१८८३
०६. श्री नाहरसिंह जी वर्मा, शाहपुरा	२७.०२.१८८३
०७. राव तख्तसिंह वर्मा, बेदला (उदयपुर)	२७.०२.१८८३
०८. राणा फतहसिंह वर्मा, देलवाड़ा	२७.०२.१८८३
०९. रावत अर्जुनसिंह वर्मा, आसींद	२७.०२.१८८३
१०. महाराज गजसिंह वर्मा, उदयपुर	२७.०२.१८८३
११. राव बहादुरसिंह वर्मा, मसूदा	२७.०२.१८८३
१२. पं. सुन्दरलाल, आगरा	२७.०२.१८८३
१३. राजा जयकृष्णदास, मुरादाबाद	२७.०२.१८८३
१४. बाबू दुर्गाप्रसाद, फर्रुखाबाद	२७.०२.१८८३
१५. लाला जगन्नाथ प्रसाद, फर्रुखाबाद	२७.०२.१८८३
१६. सेठ निर्भयराम, फर्रुखाबाद	२७.०२.१८८३
१७. लाला कालीचरण, रामचरण	२७.०२.१८८३
१८. बाबू छेदीलाल, मुरार	२७.०२.१८८३
१९. लाला साईंदास, लाहौर	२७.०२.१८८३
२०. बाबू माधवदास, दानापुर	२७.०२.१८८३
२१. पं. गोपालराव हरि देशमुख, बम्बई	२७.०२.१८८३
२२. रा. ब. महादेव गोविन्द रानाडे, पूना	२७.०२.१८८३
२३. पं. श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑक्सफोर्ड	२७.०२.१८८३
२४. कर्नल प्रतापसिंह, जोधपुर	२८.१२.१८८३
२५. लाला लालचन्द एम.ए., लाहौर	२८.१२.१८८८
२६. लाला ईश्वरदास एम.ए., लाहौर	२८.१२.१८९०
२७. लाला हंसराज बी.ए., लाहौर	२८.१२.१८९०

२८. लाला हरबिलास बी.ए., अजमेर	२८.१२.१८९०
२९. लाला लाजपतराय, हिसार	०६.०९.१८९१
३०. पं. रामदुलारे वाजपेयी, लखनऊ	०६.०९.१८९१
३१. ठाकुर मुकुन्दसिंह, छलेसर	२८.१२.१८९३
३२. बैरिस्टर रामगोपाल, अजमेर	२८.१२.१८९३
३३. लाला पुरुषोत्तम नारायण, फर्रुखाबाद	२८.१२.१८९३
३४. मुन्शी पद्मचन्द, अजमेर	२८.१२.१८९६
३५. मुन्शी रोशनलाल, प्रयाग	२८.१२.१८९६
३६. राव कर्णसिंह, बेदला, (उदयपुर)	२८.१२.१८९६
३७. राव विजयसिंह, कुनाड़ी, (कोटा)	२८.१२.१८९६
३८. लाला गौरीशंकर, अजमेर	२८.१२.१८९६
३९. म. कु. उम्मेदसिंह, शाहपुरा	२७.११.१९०६
४०. ठा. कर्णसिंह, जोबनेर	२७.११.१९०६
४१. श्री रामभजदत्त बी.ए., लाहौर	२७.११.१९०६
४२. श्री मुन्शीराम, गुरुकुल कांगड़ी- (स्वामी श्रद्धानन्द)	२७.११.१९०६
४३. श्री गंगाप्रसाद, मेरठ	२७.११.१९०६
४४. श्री भगवानदीन, हरदोई	२७.११.१९०६
४५. लाला रामविलास शारदा, अजमेर	२७.११.१९०६
४६. पं. वंशीधर शर्मा, अजमेर	२७.११.१९०६
४७. पं. विष्णुलाल शर्मा, मेरठ	१२.११.१९०९
४८. श्री रणछोड़ दास भवान, बम्बई	२७.१०.१९१६
४९. पं. घासीराम, मेरठ	२७.१०.१९१६
५०. ठा. नरेन्द्रसिंह, जोबनेर	२७.१०.१९१६
५१. आचार्य रामदेव, गुरुकुल कांगड़ी	२७.१०.१९१६
५२. श्री साहू छत्रपति, कोल्हापुर	२९.१२.१९१८
५३. श्री गुलराज गोपाल गुप्त, अजमेर	२९.१२.१९१८
५४. श्री सयाजीराव गायकवाड़, बड़ौदा	०४.०३.१९२३
५५. सर राजाराम छत्रपति, कोल्हापुर	०४.०३.१९२३
५६. पं. भगवद्दत्त बी.ए. लाहौर	०४.०३.१९२३
५७. स्वामी विश्वेश्वरानन्द, शिमला	२७.१२.१९२३
५८. मास्टर कन्हैयालाल बी.ए., अजमेर	२४.१२.१९२५
५९. कुं. घनश्यामदास बिड़ला, कलकत्ता	१४.०२.१९२७
६०. म. नारायण स्वामी, दिल्ली	३१.०३.१९२९
६१. प्रो. सुधाकर एम.ए., दिल्ली	२८.१२.१९३०
६२. मास्टर आत्माराम, बड़ौदा	२८.१२.१९३०
६३. श्री घीसूलाल, अजमेर	२८.१२.१९३०
६४. डॉ. मानकरण शारदा, अजमेर	२८.१२.१९३०
६५. श्री मदनमोहन सेठ, बुलन्दशहर	२८.१२.१९३०
६६. श्री चाँदकरण शारदा, अजमेर	२१.०३.१९३२
६७. राव विजयसिंह, मसूदा	२०.०३.१९३३
६८. राजा दुर्गानारायण सिंह, तिरवाँ	२०.०३.१९३३
६९. बाबू चुन्नीलाल गुप्त, अजमेर	०१.०९.१९३५
७०. पं. ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, लाहौर, वाराणसी	१४.११.१९३६
७१. पं. आनन्दप्रिय, बड़ौदा	३१.०७.१९३८
७२. रा. ब. डॉ. मथुरादास, मोगा	१२.०३.१९३९
७३. राजा ज्वालाप्रसाद, काशी	१२.०३.१९३९
७४. बख्शी टेकचन्द, लाहौर	१४.०४.१९४०
७५. रा. ब. बद्रीदास, जालन्धर	१४.०४.१९४०
७६. सर राजेन्द्रसिंह बहादुर, झालावाड़	०६.०४.१९४१
७७. श्री धर्मचन्द गुप्त, अजमेर	२०.१०.१९४१
७८. श्री सुदर्शनदेव, शाहपुरा	०९.११.१९४२
७९. महाशय कृष्ण, लाहौर	०९.११.१९४२
८०. लाला नारायणदत्त, दिल्ली	२५.०९.१९४४
८१. महाराज राणा हरिश्चन्द्र, झालावाड़	०२.०३.१९४६
८२. श्री विष्णुचन्द्र, अजमेर	०२.०३.१९४६
८३. प्रो. ठाकुर मदनसिंह, अजमेर	०२.०३.१९४६
८४. राजा नारायणलाल पित्ती, बम्बई	०२.०३.१९४६
८५. स्वामी स्वतन्त्रानन्द, दिल्ली	०८.०३.१९४८
८६. सर गोकुलचन्द नारंग, दिल्ली	२६.०२.१९४९
८७. सेठ नानजी कालिदास मेहता, पोरबन्दर	२६.०२.१९४९
८८. श्री देशबन्धु गुप्त, दिल्ली	०७.०१.१९५१
८९. श्री चित्तरंजन वर्मा, अजमेर	२४.०२.१९५२
९०. श्री घनश्याम सिंह गुप्त, दुर्ग	२४.०२.१९५२
९१. डॉ. मंगलदेव शास्त्री, वाराणसी	२४.०२.१९५२
९२. लाला हंसराज गुप्त, दिल्ली	२४.०२.१९५२
९३. श्री शिवचरणलाल गुप्त, अजमेर	२८.०२.१९५३
९४. सेठ प्रतापसिंह शूरजी, बम्बई	२७.०२.१९५४
९५. सेठ कृष्णलाल पोद्दार, कलकत्ता	२७.०२.१९५४
९६. महात्मा आनन्द स्वामी, दिल्ली	०३.०४.१९५५
९७. श्री चरणदास पुरी, दिल्ली	०३.०४.१९५५
९८. डॉ. मथुरालाल शर्मा, जयपुर	०३.०४.१९५५

९९. श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति, दिल्ली	०३.१२.१९५५	१३६. श्री हरकिशन मलिक, दिल्ली	२०.११.१९८२
१००. स्वामी आत्मानन्द सरस्वती,यमुनानगर	०३.१२.१९५५	१३७. श्री पन्नालाल बाहेती, अजमेर	२८.११.१९८४
१०१. पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय, प्रयाग	०३.१२.१९५५	१३८. डॉ. धर्मवीर, अजमेर	१७.११.१९८५
१०२. श्री घनश्याम सिंह गुप्त, दुर्ग	०३.१२.१९५५	१३९. श्री गजानन्द आर्य, कलकत्ता	१७.११.१९८५
१०३. श्री श्रीकरण शारदा, अजमेर	२२.०४.१९५६	१४०. श्री ओंकार नाथ, बम्बई	१७.११.१९८५
१०४. श्री अमरचन्द ईनाणी, अजमेर	११.११.१९५८	१४१. स्वामी सर्वानन्द सरस्वती, दीनानगर	०१.११.१९८७
१०५. राजाधिराज सुदर्शनदेव जी, शाहपुरा	०९.०४.१९५९	१४२. श्री ओमप्रकाश झँवर, ब्यावर	०१.११.१९८७
१०६. श्री कंवरलाल बाफना, जयपुर	०९.०४.१९५९	१४३. श्री फूलचन्द आर्य, कलकत्ता	१४.११.१९८८
१०७. रावल नरेन्द्रसिंह, जोबनेर	०२.०४.१९६१	१४४. कैप्टन देवरत्न आर्य, बम्बई	१७.११.१९९१
१०८. डॉ. परमात्मा शरण, दिल्ली	०२.०४.१९६१	१४५. स्वामी धर्मानन्द सरस्वती, आबू पर्वत	१७.११.१९९१
१०९. डॉ. राजबहादुर, कोटा	३१.१०.१९६२	१४६. श्री सुशील कुमार आर्य, कलकत्ता	१२.११.१९९४
११०. श्री वीरेन्द्र एम.ए., जालन्धर	१७.११.१९६३	१४७. श्री सोमदेव आर्य, बम्बई	१२.११.१९९४
१११. आचार्य उदयवीर शास्त्री, गाजियाबाद	०३.१०.१९६५	१४८. स्वामी सुमेधानन्द सरस्वती, पिपराली	०२.११.१९९५
११२. पं. भगवानस्वरूप न्यायभूषण,अजमेर	०३.१०.१९६५	१४९. पं. भगवान सहाय, अजमेर	०२.११.१९९५
११३. श्री के. नरेन्द्र, दिल्ली	२२.१०.१९६७	१५०. श्री मित्रसेन आर्य, रोहतक	०२.११.१९९५
११४. श्री विद्या रत्न भटनागर, जयपुर	२२.१०.१९६७	१५१. श्री तपेन्द्र वेदालङ्कार, जयपुर	२४.१०.१९९७
११५. श्री हरिश्चन्द्र वर्मा, कलकत्ता	२२.१०.१९६७	१५२. श्री सत्यनारायण लाहोटी, सुजानगढ़	०९.१०.१९९८
११६. प्रो. शेरसिंह जी, दिल्ली	१६.११.१९६९	१५३. श्री रामगोपाल गर्ग, अजमेर	०९.१०.१९९८
११७. डॉ. भवानीलाल भारतीय, अजमेर	०८.११.१९७०	१५४. श्री शत्रुघ्न आर्य, राँची	१८.११.२००१
११८. राव नारायणसिंह, मसूदा	२४.१०.१९७१	१५५. श्री सुभाष नवाल, अजमेर	१८.११.२००१
११९. डॉ. सुधीरकुमार गुप्त, जयपुर	१२.११.१९७२	१५६. डॉ. सुरेन्द्र कुमार, झज्जर	१८.११.२००१
१२०. डॉ. सत्यदेव आर्य, जयपुर	०४.११.१९७३	१५७. श्री सत्यजित् आर्य, अजमेर	३१.१०.२००३
१२१. श्री प्रकाशवीर शास्त्री, दिल्ली	२०.११.१९७४	१५८. डॉ. खेत लखानी, जोधपुर	३१.१०.२००३
१२२. श्री रामगोपाल शालवाले, दिल्ली	२०.११.१९७४	१५९. स्वामी विष्वङ्, अजमेर	११.११.२००५
१२३. श्री कर्मचन्द गुप्त, अजमेर	३१.१०.१९७६	१६०. श्री दीनदयाल गुप्ता, कलकत्ता	२३.१०.२००९
१२४. श्री भौमाराम आर्य, अजमेर	३०.१०.१९७६	१६१. प्रा. राजेन्द्र 'जिज्ञासु', अबोहर	२३.१०.२००९
१२५. स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती, प्रयाग	३०.१०.१९७६	१६२. स्वामी ब्रह्ममुनि, परली बैजनाथ	२३.१०.२००९
१२६. चौधरी चरणसिंह, नूरपुर (उ.प्र.)	०६.११.१९७७	१६३. डॉ. दिनेश शर्मा, अजमेर	२३.१०.२००९
१२७. स्वामी ओमानन्द सरस्वती, झज्जर	०६.११.१९७७	१६४. श्री वीरेन्द्र आर्य, अजमेर	२३.१०.२००९
१२८. डॉ. प्रकाश शारदा, अजमेर	०६.११.१९७७	१६५. डॉ. राजेन्द्र विद्यालङ्कार, कुरुक्षेत्र	०४.११.२०११
१२९. महात्मा आर्यभिक्षु, ज्वालापुर	२८.१०.१९७९	१६६. श्री विजयसिंह भाटी, जोधपुर	०४.११.२०११
१३०. श्री पूनमचन्द आर्य, कलकत्ता	१६.११.१९८०	१६७. डॉ. वेदपाल, बड़ौत	१६.११.२०१२
१३१. रा. सा. चौधरी प्रतापसिंह, करनाल	१६.११.१९८०	१६८. आचार्य विरजानन्द दैवकरणि, झज्जर	१६.११.२०१२
१३२. श्री घनश्यामदास गोयल, बंगलौर	०१.११.१९८१	१६९. श्री सत्येन्द्र सिंह आर्य, मेरठ	१५.०४.२०१४
१३३. श्री रामनाथ सहगल, दिल्ली	०१.११.१९८१	१७०. श्री कन्हैयालाल आर्य, गुड़गाँव	१५.०४.२०१४
१३४. श्री छोटूसिंह आर्य, अलवर	०१.११.१९८१	१७१. पं. सत्यानन्द 'वेदवागीश', दिल्ली	२०.११.२०१५
१३५. श्री देशराज बहल, दिल्ली	२०.११.१९८२	१७२. श्रीमती ज्योत्स्ना 'धर्मवीर', अजमेर	०७.१०.२०१६
		१७३. डॉ. वेदप्रकाश 'विद्यार्थी', दिल्ली	१८.०३.२०१८

परोपकारिणी सभा द्वारा आयोजित आगामी कार्यक्रम

१. १२ से १९ मई, २०१९ - **आर्यवीर दल शिविर**

२. ०२ से ०९ जून, २०१९ - **आर्य वीराङ्गना शिविर**

३. १६ से २३ जून, २०१९- **योग-साधना शिविर**

४. १३ से २० अक्टूबर, २०१९- **योग-साधना शिविर**

५. ०१, ०२, ०३ नवम्बर २०१९- **ऋषि मेला**

सम्पर्क सूत्र- ०९४६०४२११८३, ०१४५-२४६०१६४, ०१४५-२६२१२७०

गुरुकुल के लिये प्रवेश-सूचना

परोपकारिणी सभा, अजमेर द्वारा संचालित महर्षि दयानन्द आर्ष गुरुकुल, ऋषि उद्यान-अजमेर में वैदिक धर्म एवं आर्यसमाज के उपदेशक तैयार करने हेतु उपदेशक कक्षा में प्रवेश प्रारम्भ है। गुरुकुल में अध्यापन, भोजन एवं आवास की नि:शुल्क व्यवस्था है। **सम्पर्क - आचार्य विद्यादेव - ९८७९५८७७५६**

साहित्य के प्रकाशन में अपना सहयोग दें

१. **महर्षि दयानन्द सरस्वती के शास्त्रार्थ**- व्यय लगभग ५१,०००/- (इक्यावन हजार रुपये)

२. **आत्मकथा** (महर्षि दयानन्द सरस्वती)- व्यय लगभग ३१,०००/- (इकत्तीस हजार रुपये) होगा।

३. **व्यवहारभानु**- व्यय लगभग ३१,०००/-(इकत्तीस हजार रुपये)

४. **डॉ. धर्मवीर जी के सम्पादकीय**- व्यय लगभग ७०,०००/-(सत्तर हजार रुपये)।

जो सज्जन इन पुस्तकों का सम्पूर्ण व्यय देकर अपनी ओर से प्रकाशित कराना चाहें, उनका परिचय चित्र सहित पुस्तक में दिया जायेगा। इस कार्य में मुक्त हस्त से सभा को सहयोग करें। - **मन्त्री**

परोपकारी (पाक्षिक) का नवनिर्धारित शुल्क (१ फरवरी २०१९ से लागू)

एक वर्ष -३०० रु., **पाँच वर्ष**-१२०० रु., **आजीवन**-३००० रु. **विशेष**-विदेश के लिए पूर्व निर्धारित शुल्क ही मान्य रहेगा। **वार्षिक**- ५० यू.के. पाउण्ड/८० यू.एस.डॉलर,**द्विवार्षिक**- ९५ पाउण्ड/१५२ डॉलर, **त्रिवार्षिक**- १४० पाउण्ड/२२५ डॉलर, **आजीवन (१५ वर्ष)**- ५०० पाउण्ड/८०० डॉलर

परोपकारिणी सभा के प्रकल्पों में सहयोग करने के लिये

खाताधारक का नाम - परोपकारिणी सभा, अजमेर (PAROPKARINI SABHA AJMER)

१. बैंक का नाम-भारतीय स्टेट बैंक, डिग्गी बाजार, अजमेर।

बैंक बचत खाता (Savings) संख्या-10158172715 IFSC-SBIN0007959

२. बैंक का नाम-आई.डी.बी.आई, पावर हाउस के सामने, जयपुर रोड, अजमेर।

बैंक बचत खाता (Savings) संख्या-0911040000 57530, IFSC-IBKL0000091

वैदिक पुस्तकालय (पुस्तकें क्रय करने के लिये)

खाता धारक का नाम - वैदिक पुस्तकालय, अजमेर। दूरभाष - 0145-2460120

बैंक का नाम - पंजाब नेशनल बैंक, कचहरी रोड, अजमेर।

बैंक बचत खाता (Savings) संख्या - 0008000100067176, IFSC - PUNB0000800